रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-15062026-273458
CG-GJ-E-15062026-273458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 8 जून, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/010.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42घ, 42ङ और 118क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता) कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य**

इन विनियमों का उद्देश्य भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में कार्यरत प्रबंधन सामान्य अभिकर्ताओं (एमजीए), जो विदेशी बीमाकर्ता(ओं) से प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के हामीदारी(हामीदारी) या दावों के निपटान के लिए प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त करते हैं, के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और संचालन के लिए व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करना है; इसका लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि वे पारदर्शिता और उत्तरदेही के साथ कार्य करें, ताकि पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा हो सके और आईएफएससी में बीमा पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवस्थित विकास और संवर्धन को समर्थन प्राप्त हो सके।

3. **परिभाषाएँ**

(1) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनके सजातीय पदों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी, -

(क) '**अधिनियम**' से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;

(ख) '**आवेदक**' से तात्पर्य है –

(i) भारत के बाहर निगमित कोई निगमित निकाय, जिसे किसी विदेशी बीमाकर्ता(ओं) द्वारा लिखित अनुबंध के अधीन अपने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय का भाग, जिसमें बीमा प्रस्ताव की मांग करना, जोखिमों की हामीदारी करना और/या दावों का निपटान करना शामिल है, का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया हो; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का संख्या 18) के अधीन निगमित कोई कंपनी;

स्पष्टीकरण. - किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के अधीन 'निगमित निकाय' शब्द में सीमित देयता कंपनी शामिल नहीं होगी।

(ग) '**प्राधिकरण**' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

(घ) '**बाध्यकारी प्राधिकरण अनुबध (बीएए)**' का तात्पर्य एमजीए और विदेशी बीमाकर्ता के बीच किया गया लिखित अनुबंध से है, जिसके अधीन विदेशी बीमाकर्ता एमजीए को अभिकर्ता के रूप में कार्य करने और अपनी ओर से बीमा अनुबंध करने के लिए अधिकृत करता है; जिसमें बाध्यकारी बीमा जोखिमों या दावों के निपटान के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हों;

(ङ) '**आवेदक बोर्ड**' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का संख्या 18) के अधीन परिभाषित ऐसे 'बोर्ड' या निकाय से है, जो समकक्ष कार्य करता हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

(च) '**सक्षम प्राधिकारी**' का तात्पर्य:

(i) अध्यक्ष; या

(ii) अध्यक्ष द्वारा यथा-निर्धारित पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की समिति या प्राधिकरण के अधिकारी (अधिकारीगण) से है।

(छ) '**घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए)**' का तात्पर्य संपूर्ण भारत (जिसमें प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय जलमग्न सीमा शामिल हैं) से है, लेकिन इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्र शामिल नहीं हैं;

(ज) '**फिड्यूशियरी खाता**' का तात्पर्य प्रत्येक विदेशी बीमाकर्ता के लिए निर्धारित खाता से है, जिसे एमजीए द्वारा आईएफएससी बैंकिंग इकाई के साथ विशेष रूप से ऐसे विदेशी बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम या दावा निपटान, या दोनों का रखरखाव किया जाता है;

(झ) '**सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी**)' का तात्पर्य विदेशी बीमाकर्ता (बीमाकर्ताओं) की ओर से एमजीए द्वारा प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि से है;

(ञ) '**विदेशी बीमाकर्ता**' का तात्पर्य भारत के बाहर किसी भी देश के कानून के अधीन निगमित किसी निगमित निकाय से है, और जो प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करने के लिए अपने गृह देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के साथ विधिवत रजिस्ट्रीकृत हो;

(ट) '**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी**)' का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम की धारा **3** की उप-धारा **(1)** के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया है;

(ठ) **'आईएफएससी बैंकिंग इकाई (ईबीयू)'** का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसे प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन अनुमोदित कार्यकलापों को करने के लिए लाइसेंस दिया हो;

(ड) **'प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता (एमजीए)'** का तात्पर्य ऐसे बीमा मध्यस्थ से है, जो इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(ढ) **'एमजीए अर्हताप्राप्त व्यक्ति (एमक्यूपी)'** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जो एमजीए का कर्मचारी या निदेशक हो, और जो प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए ग्राहकों को जोड़ने, जोखिम की हामीदारी करने और/या दावे का निपटान करने के काम में लगा हो, और जिसने ऐसा प्रशिक्षण लिया हो और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो;

(ण) **'निवल मूल्य'** का तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का संख्या 18) में इसके लिए दिया गया है;

(त) **'प्रधान अधिकारी'** का अभिप्राय एमजीए के ऐसे निर्धारित कर्मचारी से है जो एमजीए के दैनिक मामलों या उसके कुल कार्यकलापों को चलाने के लिए उत्तरदायी हो, जिसमें एमजीए के नियामक नियमों का पालन करना भी शामिल है;

स्पष्टीकरण.- अगर कोई एमजीए, आईएफएससी में एक शाखा के तौर पर बनाया गया हो, तो 'प्रधान अधिकारी' शब्द का तात्पर्य 'शाखा प्रमुख' समझा जाएगा।

(थ) **'निर्धारित विदेशी मुद्रा'** का तात्पर्य उन मुद्राओं से है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 की पहली अनुसूची में बताई गई हैं, और जिनमें समय-समय पर परिवर्तन किए गए हों; और

(द) **'हामीदारी' (अंडरराइटिंग)** का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई एमजीए, किसी विदेशी बीमाकर्ता की ओर से बीमा जोखिम या बीमा देयता को स्वीकार या अस्वीकार करता है।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए ऐसे शब्द और वाक्यांश जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन जिनकी परिभाषा अधिनियम या बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उनके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम में दी गई है, तो उनका वही अर्थ होगा जो उन

अधिनियमों, नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए निर्धारित किया गया है, या उनमें किए गए किसी भी कानूनी परिवर्तन या पुनः बनाए गए कानून में निर्धारित किया गया है।

अध्याय II

पात्रता और रजिस्ट्रीकरण

1. पात्रता मानदंड

(1) कोई आवेदक जो भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में एमजीए जैसे कार्यकलाप करने के लिए रजिस्ट्रीकृत या लाइसेंसीकृत है, और जो आईएफएससी में अपनी शाखा स्थापित करना चाहता है, उसे निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:

(क) उसके पास अपने मूल देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो, जिसके अधीन वह एमजीए जैसे कार्यकलाप कर सके;

(ख) उसने एमजीए जैसे कार्यकलाप करने के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य किया हो, जिसमें प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना, जोखिमों की हामीदारी (हामीदारी) करना और/या दावों का निपटान करना शामिल हैं;

(ग) वह ऐसे राष्ट्रीय नियामक वातावरण में रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित हो, जिसके साथ भारत सरकार ने 'दोहरे कराधान परिहार अनुबंध' किया हो; और

(घ) उसने आईएफएससी में अपनी शाखा स्थापित करने के लिए अपने मूल देश के नियामक या पर्यवेक्षी निकाय से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया हो।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत न आने वाले अन्य आवेदक, आईएफएससी में 'कंपनी अधिनियम, 2013' (2013 का 18) के अधीन निगमित होंगे।

(3) आवेदन जमा करते समय, आवेदक के पास किसी विदेशी बीमाकर्ता के साथ कम से कम एक लिखित अनुबंध होना चाहिए, जिसके अधीन वह उनके प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन कर सके; इस अनुबंध में ग्राहकों को आकर्षित करने, जोखिमों की हामीदारी करने और/या दावों का निपटान करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए।

(4) जिस आवेदक के पास किसी विदेशी बीमाकर्ता के साथ उनके प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के हिस्से (जिसमें ग्राहकों को आकर्षित करना, जोखिमों की हामीदारी करना और/या दावों का निपटान करना शामिल है) का प्रबंधन करने के लिए लिखित अनुबंध है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह विदेशी बीमाकर्ता –

(क) अपने मूल देश, या जिस देश में वह निगमित या अधिवासित है, वहाँ प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करने के लिए रजिस्ट्रीकृत या लाइसेंसीकृत हो;

(ख) अपने मूल देश (या जिस देश में वह निगमित/अधिवासित है), तथा किसी भी अन्य देश जहाँ वह कार्यरत है, वहाँ नियामक या पर्यवेक्षी अनुपालन के संबंध में संतोषजनक ट्रैक अभिलेखों रखेगा;

(ग) इसका न्यूनतम 'निवल मूल्य' 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा;

(घ) इन विनियमों के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित साख रेटिंग अभिकरण से न्यूनतम 'ए' या उसके समकक्ष साख रेटिंग प्राप्त की हो;

(ङ) ऐसे राष्ट्रीय नियामक वातावरण में रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित हो, जिसके साथ भारत सरकार ने 'दोहरा कराधान परिहार अनुबंध' संपन्न किया हो;

(च) बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि आईएफएससी में आवेदक के कामकाज से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को पूरा किया जाएगा;

(छ) सभी आवश्यक विवरण और जानकारी प्रस्तुत करेगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त अपेक्षा का पालन करेगा; और

(ज) इन विनियमों के विनियम 22 के उपबंधों का पालन करने का वचन (वचन-पत्र) प्रस्तुत करेगा।

(5) आवेदक एंटिटी, विदेशी बीमाकर्ता (बीमाकर्ता) और उनके प्रवर्तक, भागीदार या नियंत्रक शेयरधारक ऐसे क्षेत्राधिकार से होने चाहिए, जिसे वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में *"कार्यवाही के आह्वान के अध्यधीन उच्च-जोखिम न्यायाधिकार"* के रूप में चिह्नित न किया गया हो।

(6) कोई भी आवेदक, जो अपने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के किसी हिस्से (जिसमें बीमा के लिए आग्रह करना, जोखिमों की हामीदारी करना और/या दावों का निपटारा करना शामिल है) के प्रबंधन के लिए एक से अधिक विदेशी बीमाकर्ताओं के साथ लिखित अनुबंध कर रहा हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त उपबंधों का पालन ऐसे प्रत्येक विदेशी बीमाकर्ता द्वारा किया जाए।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया

(1) कोई भी आवेदक, जो प्राधिकरण से एमजीए के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है, वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में और उसके साथ निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ-साथ, इन विनियमों के विनियम 29 के अधीन निर्दिष्ट लागू शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन पर विचार करने के लिए, आवेदक से कोई भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) आवेदन फ़ाइल करने के बाद, आवेदक तत्काल और अपनी ओर से, सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में ऐसी कोई भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण लाएगा, जिसका उसके आवेदन पर विचार करने पर कोई प्रभाव पड़ सकता हो।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की जांच करने पर, इस राय का है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वह आवेदक को उन कमियों के बारे में सूचित करेगा और उन्हें ठीक करने के लिए तीस (30) दिनों का समय देगा।

(5) यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसी कमियों को ठीक करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन का निपटान कर सकता है और आवेदक को इसके कारणों सहित इसकी सूचना देगा;

बशर्ते यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी अस्वीकरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को उन आधारों पर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता, जिन पर रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(6) इन विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते समय, सक्षम प्राधिकारी एमजीए द्वारा अनुपालन की जाने वाली अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पर विचार–

(1) कोई भी व्यक्ति, इन विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, एमजीए के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की जांच करते समय, उन सभी मामलों पर विचार करेगा जो एमजीए के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(क) क्या आवेदक, इन विनियमों के विनियम 13 में निर्दिष्ट पूंजी और निवल मूल्य की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पूरा करने का वचन देता है;

(ख) क्या आवेदक के पास आवश्यक हामीदारी और/या दावा संसाधित करने की सक्षमता है, और क्या उसके पास ऐसे कार्मिक हैं जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता और अनुभव विद्यमान है;

(ग) क्या प्रधान अधिकारी, प्रवर्तक, निदेशक और केएमपी/नियंत्रक शेयरधारक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' हैं;

(घ) क्या आवेदक ने एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है, जो एमजीए के सीधे रोज़गार में होगा और भारत का निवासी होगा;

(ङ) क्या आवेदक के पास आईएफएससी के भीतर अपने कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, आईटी प्रणाली और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, जो प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप हों; और

(च) क्या आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया

(1) आवेदन पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सैद्धांतिक स्वीकृति दे सकता है, बशर्ते वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक ने इन विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा कर दिया है और लागू शुल्क का भुगतान कर दिया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-विनियम (1) के अधीन अनुपालन और इन विनियमों के अधीन अन्य अनुपालनों (जिसमें पूंजी की आवश्यकता, निवल मूल्य की आवश्यकता और व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी शामिल हैं) से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) इन विनियमों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण, इन विनियमों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, तब तक लागू रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की शर्तें - इन विनियमों के अधीन किसी एमजीए को दिया गया रजिस्ट्रीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, कि वह –

(1) केवल वही व्यवसाय करेगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण दिया गया है, और वह भी उसी तरीके से जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची-I में निर्धारित है;

(2) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42D के उप-धारा (5) के उपबंधों का पालन करेगा;

(3) लागू कानूनों का पालन करेगा;

(4) हर समय, इन विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, विदेशी बीमाकर्ता(ओं) के साथ वैध और विद्यमान बीएए (व्यावसायिक सहयोग अनुबंध) बनाए रखेगा;

(5) हर समय, इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन करेगा;

(6) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण की रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, 2022 का पालन करेगा;

(7) हर समय, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन प्रशासक (आईएफएससीए) से एक वैध और विद्यमान स्वीकृति पत्र रखेगा;

(8) यदि पहले से प्रस्तुत जानकारी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो सक्षम प्राधिकारी को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा;

(9) दिनांक 02 दिसंबर, 2024 के परिपत्र, जिसका शीर्षक "आईएफएससी में विनियमित एंटिटियों द्वारा शिकायत निवारण और शिकायत समाधान" है, के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए उचित कदम उठाएगा;

(10) अपने संसाधनों के अनुरूप बीमा पॉलिसियों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करेगा;

(11) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का रखरखाव करना, जिसमें एमजीए द्वारा प्रबंधित प्रत्येक पॉलिसी का विवरण शामिल होगा और प्रत्येक पॉलिसी के लिए, जहाँ भी लागू हो, उसका प्रबंधन करने वाले अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान की जाएगी;

(12) किसी भी परिस्थिति में, प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की मांग करने और उसे प्राप्त करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन का सहारा नहीं लेगा;

(13) इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा;

(14) इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट लेखा-बहियों को बनाए रखेगा;

(15) यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी शेयरधारक द्वारा धारित उसके शेयर किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए गिरवी नहीं रखे जाएँगे , और हर समय भार-मुक्त रहेंगे; और

(16) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त (शर्तें)।

9. व्यवसाय का प्रारंभ -

(1) एमजीए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों की अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू करेगा;

बशर्ते कि, यदि कोई एमजीए उक्त अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहता है, तो वह, उक्त अवधि समाप्त होने से पहले और ऐसी समाप्ति से कम से कम तीस (30) दिन पहले, समय विस्तार की मांग करते हुए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी उसकी जांच करेगा और ऐसे आवेदक को, उसके आवेदन पर अपना निर्णय, लिखित रूप में, सूचित करेगा;

बशर्ते कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने की तारीख से अठारह (18) माह से अधिक समय का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

अध्याय III
एमजीए के लिए अपेक्षाएँ

10. संचालन का क्षेत्राधिकार –

(1) एमजीए को आईएफएससी में, भारत के बाहर, या दोनों जगहों पर प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय कार्यकलाप संचालित करने की अनुमति है।

(2) एमजीए, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2सीबी में दिए अनुसार को छोड़कर, भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की मांग नहीं करेगा।

(3) एमजीए, इन विनियमों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अधीन निर्धारित कोई भी नियम और शर्तें शामिल हैं, के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करेगा।

(4) एमजीए अपना संचालन किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में करेगा;
बशर्ते कि, एमजीए अपने प्रशासनिक और वैधानिक खर्चों को पूरा करने के लिए, और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए, जिनकी अनुमति लागू कानूनों के अध्यधीन हो, आईएनआर खाता खोल सकता है।

11. निषिद्ध कार्यकलाप - एमजीए के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप निषिद्ध हैं:

(1) विदेशी बीमाकर्ता की ओर से बाध्यकारी पुनर्बीमा या प्रति-पुनर्बीमा अनुबंधों में प्रवेश करना;

(2) बीमा या पुनर्बीमा सिंडिकेट में भाग लेना;

(3) अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपना, या अपने हामीदारी या दावा प्राधिकरण को किसी अन्य एंटिटी या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, आगे प्रत्यायोजित करना; और

(4) संयुक्त रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करना, जो पहले से ही विदेशी बीमाकर्ता के साथ नियोजित है।

12. अन्य विदेशी बीमाकर्ता(ओं) के साथ बीएए निष्पादित करना – कोई एमजीए, जो किसी अन्य विदेशी बीमाकर्ता(ओं) के साथ बीएए निष्पादित करता है, वह इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियमों (3), (4) और (5) तथा विनियम 20 के उपबंधों का, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, पालन करेगा।
स्पष्टीकरण – कोई एमजीए, हर समय, उपर्युक्त दस्तावेज़ों को अपने पास रखेगा और जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनकी मांग की जाएगी, उन्हें प्रस्तुत करेगा।

13. पूंजी और निवल मूल्य संबंधी अपेक्षाएं

(1) कोई एमजीए, जो एक कंपनी के रूप में स्थापित है, वह किसी आईबीयू के पास यूएसडी 5,00,000 (केवल पांच लाख यूएसडी) के बराबर न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी बनाए रखेगा।

(2) कोई एमजीए, जो एक शाखा के रूप में स्थापित है, वह किसी आईबीयू के पास यूएसडी 5,00,000 (केवल पांच लाख यूएसडी) के बराबर न्यूनतम आबंटित पूंजी बनाए रखेगा।

(3) कोई एमजीए, हर समय, न्यूनतम यूएसडी 250,000 (केवल दो लाख पचास हज़ार यूएसडी) के बराबर या न्यूनतम प्रदत्त अथवा आबंटित पूंजी, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, के 50% के बराबर निवल मूल्य बनाए रखेगा।

स्पष्टीकरण – किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई एमजीए, जो शाखा के रूप में स्थापित है, वह अपने निवल मूल्य को अपने मूल संगठन के स्तर पर बनाए रखेगा।

(4) ऊपर दिए गए उप-नियम (3) के अधीन आवश्यक निवल मूल्य में किसी भी कमी के मामले में, एमजीए तुरंत उसे पूरा करेगा और पंद्रह (15) दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को इसकी रिपोर्ट देगा।

(5) एमजीए में प्रवर्तकों/शेयरधारकों द्वारा किया गया निवेश उनकी अपनी निधि से होना चाहिए, न कि किसी अन्य स्रोत से;

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए, अपनी निधि में उधार या ऋण के ज़रिए जुटाई गई निधि शामिल नहीं होंगे।

(6) एमजीए हर वर्ष अपने वैधानिक लेखापरीक्षक या किसी स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा जारी की गई प्रदत्त पूंजी और निवल मूल्य प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

14. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति - एमजीए अपने रजिस्ट्रीकरण की पूरी अवधि के दौरान, इन नियमों की अनुसूची-III के अनुसार, हर समय व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा कवर की खरीद करेगा और उसे बनाए रखेगा;

बशर्ते कि शाखा के रूप में काम करने वाला एमजीए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी अपने मुख्यालय में रखेगा और ऐसी बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन करवाएगा जिसमें यह लिखा हो कि आईएफएससी शाखा कार्यालय में होने वाले कार्यों से पैदा होने वाली कोई भी देनदारी, अगर कोई हो, तो वह भी इस पॉलिसी में कवर होगी।

15. वित्तीय प्रतिभूति और जमा की अपेक्षाएं

(1) एमजीए अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले, किसी भी आईबीयू में, प्राधिकरण के पक्ष में 'ग्रहणाधिकार' अंकित करके, इतनी राशि जमा करेगा और जमा रखेगा जो निम्नांकित के बराबर हो –

(क) यूएसडी 10,000 (केवल दस हज़ार यूएसडी), जिसे सक्षम अधिकारी की पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा; और

(ख) इन नियमों के नियम 13 के अधीन निर्धारित किए गए न्यूनतम संदाय इक्विटी पूंजी या आवंटित की गई पूंजी का 10%, जिसे सक्षम अधिकारी की पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि सक्षम अधिकारी जमा की अलग से सीमा निर्धारित कर सकता है, जो किसी भी मामले में यूएसडी 1,00,000 (केवल एक लाख यूएसडी) से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस जमा पर मिलने वाला ब्याज प्राधिकरण के 'ग्रहणाधिकार' के अधीन नहीं होगा।

(2) एमजीए, सक्षम प्राधिकारी को, जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए, उस आईबीयू, जिसके पास ऐसी जमा राशि जमा की गई है, से 'गैर-भार' विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, उप-विनियम (1) के अनुसार रखी गई जमा राशि में से उतनी राशि विनियोजित (उपयोग) कर सकता है, जितनी संबंधित एमजीए के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में, बकाया 'न्यायालय/लोकपाल निर्णयों' या 'विचाराधीन दावों' के निपटान के लिए अपेक्षित हो।

अध्याय IV

संचालन, आचार संहिता और प्रबंधन

16. शेयरों का स्वामित्व और नियंत्रण - एमजीए के शेयरों के लाभकारी स्वामित्व या योगदान और नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन, केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके तथा प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

17. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

(1) एमजीए के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी, जिसमें प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए जोखिमों को आमंत्रित करने, उनकी हामीदारी करने, दावों का निपटान करने और जोखिम-सेवा बीमा पॉलिसियों को स्वीकार करने के तरीके शामिल होंगे; इसमें उपयुक्तता संबंधी अपेक्षाएँ भी शामिल होंगी।

(2) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, वह दृष्टिकोण भी शामिल होगा जिसका पालन एमजीए द्वारा अनेक संस्थाओं के साथ गठजोड़ करने, बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार, बीमा प्रस्ताव आमंत्रित करने के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं और विभिन्न व्यावसायिक खंडों के संबंध में किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए किया जाएगा।

(3) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की समीक्षा, उसके बोर्ड (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो), द्वारा हर तीन (3) वर्षों में कम से कम एक बार की जाएगी।

18. आचार संहिता - एमजीए अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन, तथा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, इन विनियमों की अनुसूची-II में निर्दिष्ट आचार संहिता और परिचालन मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए करेगा।

19. आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ - एमजीए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (जिसमें लेखा-परीक्षा प्रणाली भी शामिल हो) विकसित करेगा और उसे बनाए रखेगा; यह प्रणाली उसके व्यावसायिक कार्यों के आकार, प्रकृति, पैमाने और जटिलता के अनुरूप होनी चाहिए।

20. बाध्यकारी प्राधिकरण अनुबंध (बीएए)

(1) कोई भी एमजीए किसी विदेशी बीमाकर्ता की ओर से तब तक व्यवसाय के लिए संपर्क नहीं करेगा, जोखिम की हामीदारी नहीं करेगा या दावे का निपटारा नहीं करेगा, जब तक कि इन नियमों की अनुसूची-IV में बताए गए खंड वाला बीएए संबंधित विदेशी बीमाकर्ता के साथ निष्पादित न हो जाए और सक्षम प्राधिकारी को जमा न कर दिया जाए।

(2) बीएए में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(क) प्रत्यक्ष बीमा बिज़नेस के प्रकार, क्षेत्रीय सीमाएँ और प्रति जोखिम दायित्व की अधिकतम सीमाएँ;

(ख) हामीदारी दिशानिदेश और ली जाने वाली दरों का आधार;

(ग) विदेशी बीमाकर्ता द्वारा किसी एमजीए को आवंटित हामीदारी क्षमता; और

(घ) विवाद (यदि कोई हो) के लंबित रहने के दौरान बीएए को समाप्त या निलंबित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण और बीएए को समाप्त या निलंबित करने का आधार सहित बीएए को समाप्त या निलंबित करने का विदेशी बीमाकर्ता का अधिकार।

(3) बीएए 'दावा प्रसंस्करण' और 'दावा समाधान', जिन्हें कोई एमजीए कर सकता है, को अलग-अलग कार्यकलापों के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा।

(4) जहाँ दावा का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है, वहाँ कोई एमजीए बीएए में बताई गई प्रति दावा मौद्रिक सीमा और कुल सीमा के अनुसार दावा का निपटारा करेगा;

बशर्ते कि यूएसडी 10,000 (केवल दस हज़ार यूएसडी) से अधिक का कोई भी दावा या कवरेज विवाद से जुड़ा कोई भी दावा, पूर्व अनुमोदन के लिए संबंधित विदेशी बीमाकर्ता को भेजा जाएगा।

21. फिड्यूशियरी खाते और प्रीमियम का पृथक्करण

(1) जहाँ किसी एमजीए को प्रीमियम इकट्ठा करने और उसे विदेशी बीमाकर्ता को भेजने और/या पॉलिसीधारक(कों) को देने के लिए विदेशी बीमाकर्ता से देय दावा इकट्ठा करने की अनुमति है, वहाँ इस प्रकार इकट्ठा की गई राशि को एक फिड्यूशियरी खाते में रखा जाएगा।

(2) किसी एमजीए द्वारा फिड्यूशियरी खाते में इकट्ठा की गई राशि को उस एमजीए द्वारा रखे गए अन्य खातों से अलग रखा जाएगा।

(3) किसी एमजीए द्वारा फिड्यूशियरी खाते में इकट्ठा की गई राशि का उपयोग केवल अनुमत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) कोई एमजीए, फिड्यूशियरी खाते में तीन (03) माह से अधिक की क्षति और क्षति समायोजन खर्चों को अपने पास नहीं रखेगा, और ऐसी कोई भी अतिरिक्त राशि हर माह विदेशी बीमाकर्ता को भेज दी जाएगी।

(5) फिड्यूशियरी खाते में रखी गई पॉलिसीधारकों या विदेशी बीमाधारक की राशि (जैसा भी मामला हो), पर कुर्की नहीं की जा सकेगी और न ही एमजीए के दिवाला होने या परिसमापन की स्थिति में वह एमजीए की परिसंपत्तियों का हिस्सा मानी जाएगी।

(6) फिड्यूशियरी खाते का प्रयोग सिर्फ़ इन कामों के लिए किया जाएगा–

(क) जमा: पॉलिसीधारकों से प्रीमियम की प्राप्ति; विदेशी बीमाकर्ताओं से दावा निधि/वापसी प्रीमियम की प्राप्ति; और ऐसी निधि पर अर्जित ब्याज (बीएए के अध्यधीन);

(ख) निकासी: विदेशी बीमाकर्ताओं को प्रीमियम भेजना; पॉलिसीधारकों को दावा/निधि का भुगतान; और बीएए के अनुसार कमीशन का प्रेषण।

(7) कोई एमजीए अपने वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र हर छह माह में सक्षम प्राधिकारी को जमा करेगा, जिसमें इन नियमों के अधीन बताई गई निधि अलग करने की आवश्यकताओं के पालन की पुष्टि की गई हो।

22. विदेशी बीमाकर्ता(ओं) के कर्तव्य और उनकी परिचालन निगरानी-

(1) वह विदेशी बीमाकर्ता जिसने किसी एमजीए के साथ बीएए किया है, वह –

(क) एमजीए के अभिलेखों का स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एमजीए, बीएए और इन नियमों के अधीन बताए गए निवल मूल्य की आवश्यकताओं का पालन कर रहा है; और

(ख) एमजीए की हामीदारी और दावा संसाधन की कम से कम हर छह माह में ऑन-साईट समीक्षा करेगा।

(2) यदि कोई एमजीए क्षति के लिए रिज़र्व बनाता है, तो संबंधित विदेशी बीमाकर्ता हर वर्ष स्वतंत्र बीमांकक की राय लेगा जो उनकी पर्याप्तता को प्रमाणित करे।

स्पष्टीकरण - किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई आवश्यकता, क्षति के लिए रिज़र्व के संबंध में आवश्यक किसी भी अन्य प्रमाणन के अतिरिक्त होगी।

(3) विदेशी बीमाकर्ता –

(क) एमजीए के किसी भी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी या नियंत्रक शेयरधारक को अपने बोर्ड में नियुक्त नहीं करेगा; और

(ख) किसी एमजीए को पिछले वित्तीय वर्ष के अपने सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्लयूपी) के दस प्रतिशत (10%) से अधिक का बाध्यकारी अधिकार नहीं देगा।

23. खाता बहियों और अभिलेखों का रखरखाव-

(1) कंपनी के रूप में स्थापित एमजीए निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगा और उनका रखरखाव करेगा–

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक तुलनपत्र;

(ख) उस अवधि के लिए लाभ और हानि खाता, जिसका अनुरक्षण उपार्जन आधार पर किया जाएगा;

(ग) उस अवधि के लिए नकदी/निधि प्रवाह का विवरण (प्रत्यक्ष विधि); और

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट उसके व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण।

स्पष्टीकरण

(i) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, आईएफएससी में शाखा के रूप में एमजीए के लिए वित्तीय वर्ष का तात्पर्य उस वित्तीय वर्ष से होगा जैसा उसके गृह देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है;

(ii) कंपनी के रूप में स्थापित एमजीए के लिए वित्तीय वर्ष का तात्पर्य बारह (12) माह की उस अवधि से होगा जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है।

(2) शाखा के रूप में एमजीए वित्तीय विवरणों को अपने गृह देश के नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

(3) एमजीए सक्षम प्राधिकारी को वार्षिक आम बैठक के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, या प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को या उससे पहले, जो भी पहले हो, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा; इसके साथ ही, यदि लागू हो, तो निदेशक की रिपोर्ट, और यदि कोई हो, तो व्यवसाय के संचालन, खातों की स्थिति आदि पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अवलोकन भी प्रस्तुत करेगा।

(5) एमजीए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियों, यदि कोई हों, को ठीक करने के लिए कदम उठाएगा, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इसके बारे में सूचित करेगा।

(6) सभी वित्तीय विवरण और संबंधित दस्तावेज आईएफएससी में एमजीए के कार्यालय में रखे जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

(7) सभी दावा फाइलें विदेशी बीमाकर्ता और एमजीए की संयुक्त संपत्ति होंगी;

बशर्ते कि विदेशी बीमाकर्ता के परिसमापन के आदेश पर, ऐसी सभी फ़ाइलें विदेशी बीमाकर्ता या उसकी संपदा की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगी, इस शर्त के अध्यधीन कि एमजीए को समुचित समय के आधार पर फ़ाइलों को देखने और उनकी प्रतिलिपि बनाने का अधिकार होगा।

(8) एमजीए विदेशी बीमाकर्ता को खाते प्रस्तुत करेगा, जिसमें दावों का विवरण शामिल होगा, जिसमें सभी लेन-देन का विवरण दिया जाएगा और अनुबंध के अधीन देय सभी निधियों को मासिक आधार पर या उससे अधिक बार विदेशी बीमाकर्ता को प्रेषित करेगा।

(9) इन विनियमों में संदर्भित सभी वित्तीय विवरण और संबंधित दस्तावेज़ों को उस अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और जांच तथा निरीक्षण हेतु आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2022 के अधीन निर्दिष्ट है;

बशर्ते कि उन मामलों, जिनमें दावों की सूचना दी गई है और निर्णय न्यायालय में लंबित है, से संबंधित दस्तावेज़ों को मामलों के निपटारे तक सुरक्षित रखा जाएगा;

बशर्ते यह भी कि जब तक उस समय लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसे सभी वित्तीय विवरण और संबंधित दस्तावेज़ों को गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।

(10) सभी वित्तीय विवरणों में एक नोट शामिल होगा जिसमें विदेशी बीमाकर्ता-वार (विदेशी बीमाकर्ता की समूह कंपनियों सहित) उसके द्वारा प्राप्त सभी आय का विवरण और साथ ही उसकी समूह कंपनियों, सहयोगियों और संबंधित पक्षों से प्राप्त भुगतानों का विवरण दिया जाएगा।

(11) एमजीए अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में सभी संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का खुलासा करेगा।

(12) एमजीए के पास सुदृढ़ साइबर सुरक्षा और साइबर रिजिलिएंस फ्रेमवर्क होगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

अध्याय V

शासन और अनुपालन

2. **एमजीए के लिए मूलभूत सिद्धांत -** एमजीए, हर समय, निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा -

(1) एमजीए का प्राथमिक फिड्यूशियरी कर्तव्य उस विदेशी बीमाकर्ता के प्रति होता है जिसके साथ उसने बीएए निष्पादित किया है, और प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग करते समय एमजीए ईमानदारी के उच्च मानकों का पालन करेगा और ऐसी कुशलता तथा सावधानी से कार्य करेगा मानो एमजीए की अपनी पूंजी जोखिम में हो।

(2) एमजीए यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा हो, विशेष रूप से जब वह हामीदारी या दावों के लिए प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग कर रहा हो।

(3) एमजीए, बीमा व्यवसाय के प्रचार-प्रसार के लिए, विदेशी बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित विज्ञापन सामग्री का उपयोग कर सकता है।

(4) एमजीए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'हित टकराव प्रबंधन नीति' तैयार करेगा और उसे लागू करेगा; इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

(5) एमजीए, पॉलिसीधारकों के समक्ष विदेशी बीमाकर्ता (बीमाकर्ताओं) के 'बीमा मध्यस्थ' के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा करेगा, और सभी पॉलिसी दस्तावेजों में विदेशी बीमाकर्ता (बीमाकर्ताओं) के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

25. **रिटर्न फ़ाइल करना -** एमजीए, संबंधित रिटर्न को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रपत्र और रीति से फ़ाइल करेगा।

26. **सक्षम प्राधिकारी को दी जाने वाली जानकारियाँ -**

(1) एमजीए को निम्नलिखित के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले से स्वीकृति लेनी होगी –

(क) प्रधान अधिकारी/शाखा प्रमुख में परिवर्तन;

(ख) निदेशक(कों) में परिवर्तन (यदि कोई हो);

(ग) अपने नाम में परिवर्तन; या

(घ) अपने कारपोरेट/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन।

स्पष्टीकरण – किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निदेशक के त्यागपत्र देने की स्थिति में, एमजीए सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी को पहले दी गई जानकारी में जब भी कोई परिवर्तन होता है, तो एमजीए को, सात (07) दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

(क) एमक्यूपी की सूची; और

(ख) व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अधीन किए गए दावे।

(3) सक्षम प्राधिकारी, एमजीए से अन्य डेटा, दस्तावेज़ या जानकारी, उसके द्वारा निर्धारित तरीके और अंतराल पर देने की अपेक्षा कर सकता है।

27. व्यवसाय का एकीकरण और अंतरण

(1) एमजीए के व्यवसाय के एकीकरण, विलय, अधिग्रहण या अंतरण की कोई भी योजना, सक्षम प्राधिकारी की पहले से स्वीकृति के बिना लागू नहीं की जाएगी।

(2) एमजीए के व्यवसाय के ऐसे एकीकरण, विलय, अधिग्रहण या अंतरण के लिए स्वीकृति लेने की प्रक्रिया, ऐसे प्रारूप और तरीके से होगी जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

28. डिजिटल माध्यमों से बीमा की बिक्री

(1) एमजीए, विदेशी बीमाकर्ताओं के वेब पोर्टल से जुड़कर या अपना स्वयं का बीमा नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करके, ऑनलाइन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं के साथ अनुबंध कर सकता है।

(2) एमजीए, डिजिटल माध्यमों से बीमा के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, बशर्ते कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करे।

(3) ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तरीके से लीड्स (संभावित ग्राहक) प्राप्त करके एमजीए द्वारा टेली-मार्केटिंग के ज़रिएबीमा उत्पाद बेचने की प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होगी।

अध्याय VI
विविध

61. शुल्क -

(1) एमजीए के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला आवेदक, आवेदन फ़ाइल करते समय, प्राधिकरण को आवेदन शुल्क के रूप में यूएसडी 1,000 (केवल एक हज़ार यूएसडी) का अप्रतिदेय शुल्क अदा करेगा।

(2) सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में यूएसडी 5,000 (केवल पाँच हज़ार यूएसडी) का अप्रतिदेय शुल्क अदा करेगा।

(3) जिस एमजीए को इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पहले, प्राधिकरण को नीचे निर्दिष्ट वार्षिक शुल्क में से जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा:

(क) यूएसडी 12,500 (केवल बारह हज़ार पाँच सौ यूएसडी); या

(ख) उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जाना है, एमजीए द्वारा लिखे गए कुल सकल प्रीमियम का एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग।

(4) शुल्क की राशि, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यम से, प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में, एमजीए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बारे में पूर्ण विवरण देते हुए घोषणा पत्र के साथ, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करने का अनुरोध करते हुए, यूएसडी 500 (केवल पाँच सौ यूएसडी) के शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र खो गया है, नष्ट हो गया है या खराब हो गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी कर सकता है, जिस पर यह पृष्ठांकन अंकित होगा कि यह एक डुप्लीकेट प्रति है।

30. **स्वैच्छिक अभ्यर्पण** - कोई एमजीए अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति से ही समर्पित कर सकता है, और ऐसा करने से पहले उसे अपने विद्यमान व्यवसाय को समेटने की योजना प्रस्तुत करनी होगी; इस योजना में यह प्रमाण भी शामिल होना चाहिए कि उसके पास संचालन को व्यवस्थित तरीके से बंद करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है, ताकि पॉलिसीधारकों की सेवाओं में कोई बाधा न आए।

31. **सहायक निदेश जारी करने की शक्ति** – सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायक निदेश जारी कर सकता है, जो इस प्रकार हैं: –

(1) इस विनियम के उपबंधों में, यदि कोई अस्पष्टता है, तो उसे स्पष्ट करना; और

(2) इस विनियम के सहायक के रूप में किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को निर्धारित करना।

32. **कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति -**

(1) सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बीमा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के हित में, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कठोर प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ढील प्राप्त करने के लिए, आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस आवेदन में विस्तृत विवरण और वे आधार बताए जाने चाहिए जिनके आधार पर ऐसी छूट मांगी जा रही है; साथ ही, आवेदन के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क, यदि कोई हो, तो वह अप्रतिदेय शुल्क भी जमा करना होगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन, यदि वह सभी दृष्टियों से पूर्ण है, तो उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी; अथवा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो उन स्पष्टीकरणों के उत्तर प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटारा करते समय, आवेदक द्वारा मांगी गई ढील को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

33. **निरीक्षण और जांच करने की शक्ति -** सक्षम प्राधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, एमजीए के वित्तीय विवरणों, संबंधित दस्तावेजों और उसके परिसर का

निरीक्षण कर सकेगा; साथ ही, वह एमजीए या आवेदक से कोई भी ऐसी जानकारी मांग सकता है, जो एमजीए के रूप में उसके कार्यकलापों से संबंधित हो।

34. व्यतिक्रम पर कार्रवाई और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या निरस्त करने का तरीका-

(1) सक्षम प्राधिकरण, उचित नोटिस देने और एमजीए को अपनी बात रखने का उचित मौका देने के बाद, एमजीए के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त करने सहित, कोई भी उचित कार्रवाई कर सकता है, अगर एमजीए, अन्य बातों के अतिरिक्त –

(क) लागू कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;

(ख) एमजीए के तौर पर अपनी गतिविधियों से जुड़ी कोई भी जानकारी देने में नाकाम रहता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकरण ने माँगा है;

(ग) सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में नाकाम रहता है;

(घ) रजिस्ट्रीकरण पाने के लिए जमा किए गए आवेदन में या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान, गलत या झूठी जानकारी देता है, या ज़रूरी तथ्यों को छिपाता है या बताने में असमर्थ रहता है;

(ङ) सक्षम प्राधिकरण द्वारा वांछित समय-समय पर दिए जाने वाले रिटर्न जमा नहीं करता है;

(च) सक्षम प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी निरीक्षण या जाँच में सहयोग नहीं करता है;

(छ) पॉलिसीधारकों की शिकायतों को सुलझाने में विफल रहता है या सक्षम प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है;

(ज) किसी ग्राहक या ग्राहक के किसी निदेशक या अन्य कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रस्तावक के रूप में कार्य कर रहा हो, नकद या किसी और रूप में छूट या प्रलोभन, सिवाय इसके कि इन नियमों के अधीन इसकी अनुमति हो, देने में संलिप्त है;

(झ) दुराचार का दोषी पाया जाता है या उसका आचरण इन नियमों के अधीन बताए गए आचार संहिता के अनुसार नहीं है;

(ञ) इन नियमों के अनुसार पूंजी, निवल मूल्य और जमा की आवश्यकता को बनाए रखने में नाकाम रहता है;

(ट) इन नियमों के अधीन निर्धारित की गई फ़ीस, जुर्माने या खर्चों की भरपाई करने में विफल रहता है;

(ठ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है;

(ड) इन नियमों में बताए गए अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है;

(ढ) सीधी बीमा पॉलिसियों को बेचने और हासिल करने के लिए बहु-स्तरीय विपणन करता है;

(ण) किसी ऐसे प्रधान अधिकारी के साथ व्यवसाय करता है जिसने इन नियमों में बताए अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और/या परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;

(त) बीएए की शर्तों का उल्लंघन करता है;

(थ) रजिस्ट्रीकरण के एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा दी गई किसी भी समय-सीमा के विस्तार के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहता है;

(द) धोखाधड़ी, आधारहीन वक्तव्य, या नैतिक कदाचार का दोषी पाया जाता है;

(ध) इन विनियमों या इनके अधीन जारी किए गए अन्य सहायक निदेशों का कतिपय उल्लंघन करता है;

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या निरस्त किया जाना, इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट तरीके के अनुसार होगा।

(2) जांच या छानबीन या किसी अन्य तरीके से, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि एमजीए का कार्यकरण प्रवृत्त विधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है; या उसके काएर्यकलाप अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बीमा पारिस्थितिकी तंत्र के हितों में नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

(3) उपर्युक्त बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन कोई भी अन्य कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

35. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन या निरस्त करने के लिए जांच आयोजित करने का तरीका—

(1) किसी एमजीए का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक निलंबित या निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस विनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच न की गई हो।

(2) इस विनियम के अधीन जांच आयोजित करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही शुरू होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है;

(3) जांच अधिकारी एमजीए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यवसाय के मुख्य स्थान पर नोटिस जारी करेगा, जिसमें जांच करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी डेटा, दस्तावेज या जानकारी मांगी जाएगी;

(4) कोई एमजीए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, जांच अधिकारी को नोटिस का उत्तर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके साथ वे उन दस्तावेजी या अन्य साक्ष्यों की प्रतियां भी संलग्न करेंगे, जिन पर वे विश्वास करते हैं या जिन्हें जांच अधिकारी ने मांगा है।

(5) जांच अधिकारी एमजीए को सुनवाई का उचित अवसर देगा, ताकि वह उपर्युक्त उप-विनियम (4) के अधीन दिए गए अपने उत्तर के समर्थन में अपनी बात रख सके।

(6) कोई एमजीए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है।

(7) यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जांच अधिकारी—

(क) सक्षम प्राधिकारी से अपने किसी अधिकारी के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा;

(ख) जांच के दौरान विदेशी बीमाकर्ता या किसी अन्य संबंधित संस्था से प्रतिक्रिया/जानकारी की मांग करेगा ;

(ग) किसी एमजीए से अतिरिक्त डेटा, दस्तावेज या जानकारी मांगेगा।

(8) जांच अधिकारी कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में जांच शुरू होने के साठ (60) दिनों से अधिक समय नहीं लेगा;

बशर्ते कि, यदि जांच ऊपर बताई गई साठ (60) दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो पाती है, तो जांच अधिकारी इसका कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त समय मांग सकता है।

(9) जांच अधिकारी, सभी प्रासंगिक तथ्यों और एमजीए द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, जांच कार्यवाही पूरी होने के तीस (30) दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

36. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाने वाली कार्यवाही –

(1) जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट पर विचार करेगा और एमजीए को 'कारण बताओ नोटिस' (एससीएन) जारी करेगा, यदि रिपोर्ट की सामग्री उनके रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण को उचित ठहराती है।

(2) एमजीए, एससीएन प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को अपना उत्तर भेजेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, एससीएन के उत्तर पर विचार करने के बाद, यथोचित आदेश पारित करेगा;

बशर्ते कि, जहां इस विनियम के अधीन नोटिस दिए जाने पर एमजीए निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर देने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस समय सीमा की समाप्ति के बाद मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर करने के लिए आगे बढेगा और यथोचित आदेश पारित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-विनियम (3) के अधीन पारित अंतिम आदेश एमजीए को भेजेगा।

37. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या निरस्तीकरण और उसके प्रभाव—

(1) सक्षम प्राधिकारी एमजीए के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा, और एमजीए अंतिम आदेश की तारीख से एमजीए के रूप में कार्य करना बंद कर देगा;

बशर्ते कि, जिस एमजीए का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त कर दिया गया है, वह उसके माध्यम से पहले से संपन्न अनुबंधों की सेवा छह माह की अवधि तक जारी रखेगा; इस अवधि के भीतर वह विद्यमान अनुबंधों को इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य एमजीए द्वारा संभाले जाने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या निरस्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी एमजीए की जमा राशि के निपटान के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह इन विनियमों के विनियम 15 के अधीन उचित समझे।

(3) कोई भी एमजीए, जो उस एमजीए से पॉलिसी सेवा के दायित्वों को लेने के लिए सहमत होता है जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त कर दिया गया है, वह पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान पोलासियों/अनुबंधों की सेवा करने के लिए विदेशी बीमाकर्ता को अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(4) कोई भी एमजीए, उप) विनियम-3) के अधीन विदेशी बीमाकर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने पर, अनुबंधों की सेवा की तारीख से भावी प्रभाव के साथ विद्यमान अनुबंधों पर पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

(5) विदेशी बीमाकर्ता विद्यमान अनुबंधों पर पारिश्रमिकपॉलिसी सेवा का भुगतान भावी प्रभाव के / साथ करेगा।

38, निलंबन या निरस्त करने के आदेश का प्रकाशन —

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन या निरस्त करने का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और एमजीए को सूचित किया जाएगा।

(2) किसी एमजीए के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निलंबित या निरस्त होने पर, ऐसा एमजीए, ऐसे

निलंबन या निरस्त होने की तारीख से प्रभावी रूप से, एक एमजीए के रूप में कोई भी व्यवसाय करना बंद कर देगा।

39. निरसन और व्यावृतियाँ

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता (एमजीए) से संबंधित सभी उपबंध, जहाँ कहीं भी वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 में आते हैं, लोप कर दिए जाएँगे।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यस्थ) विनियम, 2021 के अधीन किसी बीमा मध्यस्थ पर लागू होने वाले उपबंध, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता (एमजीए) पर लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसे लोप के बावजूद —

क. लोपित उपबंधों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई या जिसे) (किया गया या किया जाना माना गया हो— जिसमें रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन देना, निलंबित करना या निरस्त करना; शुल्क जमा करना; कोई भी अधिनिर्णयन, जाँच या अन्वेषण शुरू करना; या कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है, इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया, लिया गया या शुरू किया गया माना जाएगा;

ख. निरसित विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी को किया गया कोई भी आवेदन, जो ऐसे निरसन से पहले किया गया हो और जो उसके समक्ष लंबित हो, इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया माना जाएगा;

ग. लोपित उपबंधों का पिछला संचालन, या उनके अधीन विधिवत किया गया या भोगा गया कोई भी कार्य; लोपित उपबंधों के अधीन अर्जित, संचित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी; लोपित उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी शास्ति; या उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी या शास्ति के संबंध में कोई भी अन्वेषण, कानूनी कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेगा, मानो लोपित उपबंधों का कभी लोप ही न गया हो।

(4) प्रबंधन सामान्य अभिकर्ता एमजीए)) से संबंधित उपबंधों को लोपित किए जाने के बाद, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य विनियमों, जारी किए गए दिशानिदेशों या परिपत्रों में, भारत सरकार के किसी भी अधिनियम या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों में इसका कोई भी संदर्भ, इन विनियमों के संबंधित उपबंधों का संदर्भ माना जाएगा।

(5) उप-विनियमों (1) और (2) में अन्यथा निहित बातों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकरण द्वारा लोपित उपबंधों के अधीन जारी किए गए परिपत्र या दिशानिदेश, इन विनियमों के अधीन जारी किए गए माने जाएंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा उन्हें विशेष रूप से निरस्त या संशोधित नहीं कर दिया जाता।

अनुसूची-I

'एमजीए के कार्य और गतिविधियाँ'

1. **हामीदारी और जोखिम चयन –**

   (1) बीएए सीमाओं के भीतर जोखिम मूल्यांकन और स्वीकृति: विदेशी बीमाकर्ता की हामीदारी नीति के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए परिष्कृत मॉडलिंग और चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से जोखिमों का मूल्यांकन।

   (2) बाध्यकारी प्राधिकरण: जोखिमों को बांधने, बाइंडर जारी करने और बीएए में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर बीमा अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए सौंपे गए अधिकार का प्रयोग करना।

   (3) मूल्य निर्धारण तंत्र: तकनीकी रेटिंग मॉडलों का विकास और अनुप्रयोग। एमजीए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उद्धहरण विदेशी बीमाकर्ता के रेटिंग मैनुअल और बीमांकक बेंचमार्क, संबंधित विशेष डेटा के अनुरूप हों; इनमें जोखिम-लोडिंग, प्रशासनिक लागत और वैधानिक कर शामिल हों; और ये विदेशी बीमाकर्ता की समग्र जोखिम क्षमता से विचलित न हों।

2. उत्पाद विकास और निर्माण -

   (1) उत्पाद डिज़ाइन: बीमा उत्पादों की अवधारणा बनाना और उन्हें डिज़ाइन करना, जिसमें पॉलिसी के शब्दों, नियमों, शर्तों और अपवादों का मसौदा तैयार करना शामिल है।

   (2) नियामक फाइलिंग: आईएफएससीए (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. पॉलिसी जीवनचक्र और परिचालन प्रबंधन –

   (1) पॉलिसी जारी करना: पॉलिसी दस्तावेजों, अनुसूचियों और पृष्ठांकनों का निष्पादन और वितरण।

   (2) जीवनचक्र प्रबंधन: पॉलिसी के शुरू से अंत तक के प्रशासन को संभालना, जिसमें शामिल हैं –

      (क) अनुरोध: प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से उत्पादों का विपणन और वितरण।

      (ख) सेवा प्रदान करना: मध्य-अवधि समायोजन, नवीनीकरण, और किसी कारणवश या भुगतान न होने पर निरस्तीकरण की प्रक्रिया को संभालना।

   (3) डेटा एकीकरण: वास्तविक समय के डिजिटल अभिलेखों का रखरखाव और विदेशी बीमाकर्ता के मुख्य तंत्र के साथ उनका एकीकरण, ताकि शोधन क्षमता और विनियामक निगरानी के लिए निर्बाध रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। पॉलिसीधारकों का डेटा भारत के भीतर (आईएफएससी सहित) ही संग्रहीत किया जाना चाहिए, ताकि भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

4. फिड्यूशियरी और लेखांकन कार्य -

   (1) प्रीमियम संग्रह और दावों का भुगतान: एमजीए, प्रीमियम के संग्रह और फिड्यूशियरी खाते के रखरखाव में फिड्यूशियरी (विश्वस्त) के रूप में कार्य करेगा। इस खाते का उपयोग विदेशी बीमाकर्ता की ओर से किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए किया जाएगा। एमजीए, अनुमानित दावों के भुगतान और आवंटित हानि समायोजन खर्चों के रूप में तीन (03) माह से अधिक की राशि अपने पास नहीं रख सकता है।

   (2) वित्तीय रिपोर्टिंग: खातों का आवधिक मिलान और बीएए के अनुसार विदेशी बीमाकर्ता को शुद्ध प्रीमियम (सकल प्रीमियम में से कमीशन और अधिकृत खर्च घटाकर) का प्रेषण।

5. दावा प्रबंधन और हानि का न्यूनीकरण: जहाँ बीएए के अधीन विशेष रूप से अधिकार सौंपे गए हों, वहाँ एमजीए निम्नलिखित दावा कार्य करेगा:

(1) प्रारंभिक प्राप्ति और छँटाई: हानि की सूचनाएँ प्राप्त करना, हानि के समय पॉलिसी कवरेज को सत्यापित करना, और दावा फ़ाइल को रजिस्ट्रीकृत करना।

(2) बातचीत और समायोजन: दावों की जाँच करना और विदेशी बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के भीतर, जटिल या उच्च-मूल्य वाली हानियों के लिए निपटान हेतु बातचीत करना।

(3) निपटान का अधिकार: फिड्यूशियरी खाते से पॉलिसीधारकों या तीसरे पक्ष के दावेदारों को दावा भुगतानों को अंतिम रूप देना और जारी करना; बशर्ते कि ऐसे भुगतान एमजीए को दिए गए वित्तीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हों, और प्रति दावा मौद्रिक सीमा तथा समग्र सीमा के अधीन हों। यदि कोई विशिष्ट दावा फ़ाइलें निर्धारित सीमाओं से अधिक होती हैं या उनमें कवरेज संबंधी विवाद शामिल होते हैं, तो एमजीए उन्हें विदेशी बीमाकर्ता को भेज सकता है।

अनुसूची-II

'एमजीए की आचार संहिता'

1. ईमानदारी और व्यावसायिकता –

(1) उच्च मानक: एमजीए अपने सभी लेन-देन में ईमानदारी, गरिमा और निष्पक्षता के उच्च मानकों के साथ कार्य करेगा।

(2) फिड्यूशियरी कर्तव्य: एमजीए का प्राथमिक फिड्यूशियरी कर्तव्य विदेशी बीमाकर्ता के प्रति होगा। इस कर्तव्य का पालन करते हुए, एमजीए साथ ही पॉलिसीधारक के प्रति निष्पक्षता और पारदर्शिता के द्वितीयक कर्तव्य को भी सुनिश्चित करेगा।

(3) उचित देखभाल और तत्परता: एमजीए अपने सौंपे गए अधिकार का प्रयोग करते समय, विशेष रूप से हामीदारी और दावा प्रबंधन में, उचित कौशल, देखभाल और तत्परता के साथ कार्य करेगा।

2. हितों का टकराव और शासन

(1) बोर्ड-अनुमोदित नीति: एमजीए, अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक 'हित टकराव प्रबंधन नीति' को लागू करेगा। इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

(2) गतिविधियों का पृथक्करण: यदि कोई एमजीए ऐसे समूह का हिस्सा है जिसमें ब्रोकर या नुकसान का आकलन करने वाले शामिल हैं, तो उसे हितों के टकराव को रोकने के लिए कठोर 'एक हाथ' की दूरी और स्पष्ट परिचालन पृथक्करण बनाए रखना होगा।

(3) समूह के लिए जोखिम लेना: कोई भी एमजीए अपने स्वयं के समूह की संस्थाओं के लिए तब तक जोखिम नहीं लेगा जब तक कि उसे विदेशी बीमाकर्ता द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी को इसकी जानकारी न दी गई हो।

3. प्रकटीकरण और पारदर्शिता

(1) महत्वपूर्ण जानकारी: एमजीए को पॉलिसीधारक को विदेशी बीमाकर्ता के अभिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति और बीमित किए जा रहे जोखिम में उसके किसी भी विशिष्ट हित के बारे में जानकारी देनी होगी।

(2) सच्चा विज्ञापन: सभी प्रचार सामग्री और संचार निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए –

(क) निष्पक्ष, स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त।

(ख) भ्रामक वक्तव्यों, जो ग्राहक के बीमा अनुभव की कमी का लाभ उठाते हों, से मुक्त।

4. बाजार आचरण और गलत बिक्री की रोकथाम -

(1) उत्पाद की उपयुक्तता: एमजीए यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में लिया गया कोई भी बीमा उत्पाद ग्राहक की जोखिम प्रोफ़ाइल और विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो। एमजीए का यह कर्तव्य है कि वह 'उपयुक्तता' की जांच करे और गलत बिक्री को रोकने के लिए अपनी बिक्री प्रथाओं की निगरानी करे।

(2) स्पष्ट संचार: बीमा पॉलिसी की सभी विशेषताएं, अपवाद और सीमाएं, जोखिम लेने से पहले ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

5. व्यावसायिक मानक और उत्तरदेही -

(1) प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारियां: पीओ या शाखा प्रमुख एमजीए के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। पीओ को आईएफएससीए के दिशानिदेशों और निवास संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार, बीमा क्षेत्र में अपनी सक्षमता प्रदर्शित करते हुए 'उपयुक्त और योग्य' मानदंडों को पूरा करना होगा।

(2) कर्मचारियों का आचरण: एक एमजीए अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के आचरण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है।

6. अभिलेखों और लेखापरीक्षा का अनुपालन -

(1) अभिलेखों का रखरखाव: एमजीए को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिलेखों का रखरखाव नीति बनाए रखनी होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी हामीदारी, दावों और वित्तीय डेटा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पुनः प्राप्त करने योग्य और सुरक्षित रहें।

(2) लेखापरीक्षा का अधिकार: एमजीए को बीएए (बीमा एजेंसी समझौता) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए, हामीदारी फाइलों और दावों के निपटान के संबंध में विदेशी बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले समय-समय पर होने वाली लेखापरीक्षा में सहयोग करना होगा।

अनुसूची-III
व्यावसायिक क्षतिपूर्ति (पीआई) की अपेक्षाएँ

1. पीआई बीमा का अनिवार्य रखरखाव

(1) कवर की शुरुआत: एक एमजीए को, अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, हर समय एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति (पीआई) बीमा पॉलिसी बनाए रखनी होगी।

(2) कवरेज का दायरा: यह पॉलिसी एमजीए, उसके कर्मचारियों, या उसके नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा अधिकृत व्यावसायिक कार्यकलापों को करते समय किए गए किसी भी कार्य, गलती, या व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाली कानूनी देयताओं के लिए कवर प्रदान करेगी। यह पॉलिसी साइबर देयता बीमा भी प्रदान करेगी।

2. क्षतिपूर्ति की अलग-अलग न्यूनतम सीमाएँ –

(1) एमजीए को व्यक्तिगत दावे के स्तर और कुल मिलाकर, दोनों स्तरों पर क्षतिपूर्ति की ऐसी सीमाएँ बनाए रखनी होंगी जो उसके संचालन के पैमाने और संभावित जोखिम के अनुपात में हों।

(2) ये सीमाएँ वार्षिक आय की गणना किए गए प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएँगी।

(3) मुद्रा का समायोजन: यदि कोई पॉलिसी यूएसडी के अलावा किसी अन्य मुद्रा में है, तो एमजीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नवीनीकरण के समय, सीमाएँ अनिवार्य यूएसडी राशियों के बराबर हों।

(4) समीक्षा तंत्र: इन सीमाओं की समीक्षा एमजीए बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी और जोखिम परिदृश्य या मुद्रास्फीति में परिवर्तन के अनुसार इन्हें समायोजित किया जाएगा।

3. पॉलिसी आधिक्य (कटौती योग्य राशि) का प्रबंधन –

(1) बीमा मध्यस्थों को ऐसे वित्तीय जोखिम उठाने से रोकने के लिए जिन्हें वे संभाल नहीं सकते, अधिकतम अनुमेय 'आधिक्य' (वह राशि जो एमजीए प्रति दावे अपनी जेब से भुगतान करता है) की सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है:

(क) एमजीए जिनके पास ग्राहक का पैसा नहीं है: आधिक्य $2,500 या वार्षिक आय के 1.5% में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) एमजीए जिनके पास ग्राहक का पैसा है (फिड्यूशियरी खाते): आधिक्य $5,000 या वार्षिक आय के 3% में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) क्षतिपूर्ति पूंजी: यदि कोई एमजीए प्रीमियम लागत कम करने के लिए उच्च आधिक्य का विकल्प चुनता है, तो उसे बफर के रूप में अतिरिक्त पूंजी संसाधन बनाए रखने होंगे, जो वास्तविक आधिक्य और नियामक सीमा के बीच के अंतर के बराबर हों।

4. **पॉलिसी की अनिवार्य विशेषताएँ:** पीआई बीमा अनुबंध में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होने चाहिए -

(1) कानूनी बचाव लागतें: व्यावसायिक लापरवाही के दावों का बचाव करने में होने वाली लागतों और खर्चों के लिए कवरेज, जो क्षतिपूर्ति की सीमा के अतिरिक्त होगा।

(2) पिछला कवरेज: यह पॉलिसी एमजीए के आईएफएससी में रजिस्ट्रीकरण की आरंभिक तारीख से किए गए सभी कामों के लिए 'लगातार कवरेज' देगी।

(3) लोकपाल और मध्यस्थता फ़ैसले: आईएफएससीए की शिकायत निवारण संस्थाओं या मान्यता प्राप्त मध्यस्थता केंद्रों द्वारा दिए गए फ़ैसलों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति।

(4) कोई अनुचित छूट नहीं: पॉलिसी में ऐसी कोई शर्त या छूट नहीं होगी जो एमजीए के खास बिज़नेस क्षेत्रों (जैसे, दावों का निपटारा, हामीदारी) के लिए आवश्यक मुख्य कवरेज को अनुचित रूप से सीमित करती हो।

अनुसूची-IV

बाध्यकारी प्राधिकरण समझौते (बीएए) के अनिवार्य उपबंध

1. **अनुबंध की प्रधानता:** कोई भी एमजीए बिना किसी लिखित अनुबंध के काम नहीं करेगा, जिसमें विशिष्ट आवश्यक खंड शामिल हों, जैसे कि कारण बताकर अनुबंध समाप्त करना, प्राधिकरण का निलंबन, मासिक लेखांकन/प्रेषण, फिड्यूशियरी क्षमता, तीन माह का नियम, विदेशी बीमाकर्ता का किसी भी बीमा पॉलिसी को निरस्त करने या नवीनीकृत न करने का अधिकार (लागू कानूनों और विनियमों के अधीन), और गैर-अंतरण।

2. **प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार**: प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की श्रेणियों, क्षेत्रीय सीमाओं, और प्रति जोखिम दायित्व की अधिकतम सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताएं।

3. **'उपयुक्त और समुचित' स्थिति:** वे सभी व्यक्ति जो किसी एमजीए का प्रबंधन या नियंत्रण करते हैं, जिनमें निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन और कंपनी में महत्वपूर्ण प्रतिशत स्वामित्व रखने वाले शेयरधारक शामिल हैं, उन्हें 'उपयुक्त और समुचित' मानदंडों को पूरा करना होगा।

4. **स्वामित्व संबंध का प्रकटीकरण:** हितों के संभावित टकराव को प्रबंधित करने के लिए, किसी विदेशी बीमाकर्ता और एमजीए के बीच महत्वपूर्ण प्रतिशत या उससे अधिक के स्वामित्व संबंध का प्रकटीकरण किसी भी संभावित पॉलिसीधारक के सामने किया जा सकता है।

5. **हामीदारी की सीमाएं**: वार्षिक जीडब्ल्यूपी (सकल लिखित प्रीमियम) की सीमा निर्धारित करना, अधिशेष के ट्रिगर, ली जाने वाली दरों का आधार; उन जोखिमों के प्रकार जिनका बीमा किया जा सकता है; दायित्व की अधिकतम सीमाएं; लागू अपवाद; क्षेत्रीय सीमाएं; पॉलिसी निरस्त करने के उपबंध; और पॉलिसी की अधिकतम अवधि तथा पुनर्बीमा पर प्रतिबंध (जैसा भी लागू हो) निर्धारित करना।

6. **दावों के प्राधिकरण की मौद्रिक सीमाओं का यथा-सहमत निर्धारण –**

(1) **केवल प्रसंस्करण:** एमजीए नुकसान को सत्यापित करता है, लेकिन भुगतान को अधिकृत नहीं कर सकता।

(2) **निपटान का प्राधिकरण:** एमजीए दावा स्तर पर और कुल मिलाकर सहमत राशि तक भुगतान को अधिकृत कर सकता है।

7. **फिड्यूशियरी दायित्व**: अनिवार्य रूप से ट्रस्ट खाते को अलग रखना और 'बिना किसी देरी के' राशि भेजने के नियम।

8. **हानि कोष:** एमजीए के पास रखे जाने वाले हानि कोष की सीमा अनुमानित दावों के तीन (03) माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. **बॉर्डरो रिपोर्टिंग**: प्रीमियम और दावों के विवरण को आपसी सहमति वाले प्रारूप में, मासिक आधार पर विदेशी बीमाकर्ता को जमा करना अनिवार्य है।

10. **5% अधिशेष नियम:** यदि किसी एमजीए का त्रैमासिक जीडब्ल्यूपी उत्पादन विदेशी बीमाकर्ता के पॉलिसीधारक अधिशेष के 5% से अधिक हो जाता है, तो एमजीए को विदेशी बीमाकर्ता को इसकी सूचना देनी होगी।

11. **डेटा सुवाह्यता:** अनुबंध समाप्त होने पर पॉलिसीधारकों के अभिलेखों को विदेशी बीमाकर्ता को निर्बाध रूप से हस्तांतरित करने का अनिवार्य उपबंध।

12. **सत्यापन और निगरानी**: दो वर्ष के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और वार्षिक ऑन-साइट निरीक्षणों को अनिवार्य बनाना।

13. **ऑन-साइट समीक्षा:** विदेशी बीमाकर्ता द्वारा हामीदारी और दावों की ऑन-साइट समीक्षा कम से कम हर छह माह में की जाएगी।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./162/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 8th June, 2026

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (MANAGING GENERAL AGENTS) REGULATIONS, 2026

IFSCA/GN/2026/ 010.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and Section 42D, 42E and 118A of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Managing General Agents) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective

These regulations aims to provide a comprehensive regulatory framework for the registration, regulation and operation of Managing General Agents (MGAs) operating in International Financial Services Centres (IFSCs) in India, which possess delegated authority from the foreign insurer(s) for underwriting direct insurance business or settlement of claims, ensuring they operate with transparency and accountability to protect policyholders' interests and support the orderly growth and development of the insurance ecosystem in the IFSCs.

3. Definitions

(1) For the purposes of these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

(a) '**Act**' means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) '**Applicant**' means –

(i) a body corporate incorporated outside India and authorised by foreign insurer(s) under a written contract to manage part of its direct insurance business including solicitation, underwriting risks and/or settling the claims; or

(ii) a company incorporated under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);

Explanation. - For removal of doubts, it is clarified that the term 'body corporate' under this clause shall not include Limited Liability Company.

(c) **'Authority'** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(d) **'Binding Authority Agreement (BAA)'** means a written contract executed between an MGA and a foreign insurer under which a foreign insurer authorises the MGA to act as an agent and to enter into a contract of insurance on its behalf; setting forth the terms, conditions for binding insurance risks or settlement of claims;

(e) **'Board of the Applicant'** means a 'Board' as defined under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) or a body discharging equivalent functions, by whatever name called;

(f) **'Competent Authority'** means:

(i) Chairperson; or

(ii) such Whole-Time Member or such Committee of the Whole-Time Members or Officer (s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson.

(g) **'Domestic Tariff Area (DTA)'** means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones;

(h) '**Fiduciary Account**' means a designated account against each foreign insurer, maintained by an MGA, with an IFSC Banking Unit exclusively for holding premiums or claim settlements, or both on behalf of such foreign insurer;

(i) **'Gross Written Premium (GWP)'** means the total amount of premium received by an MGA on behalf of foreign insurer(s);

(j) **'Foreign Insurer'** means a body corporate incorporated under the law of any country outside India and duly registered with its home country regulatory or supervisory authority for transacting direct insurance business;

(k) '**International Financial Services Centre (IFSC)**' shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(l) **'IFSC Banking Unit (IBU)'** means a unit licensed by the Authority to undertake permissible activities under International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;

(m) '**Managing General Agent (MGA)**' means an insurance intermediary registered under these regulations;

(n) **'MGA Qualified Person (MQP)'** means an individual who is an employee or director of the MGA engaged in solicitation, underwriting risks and/or settlement of claims of direct insurance business, and who has undergone such training and passed such examination as may be specified by the Competent Authority;

(o) '**Net Worth**' shall have the same meaning assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(p) '**Principal Officer**' means a designated employee of the MGA responsible for day-to-day affairs or conduct of its overall activities, including regulatory compliances of an MGA;

Explanation.- In case of an MGA set up in form of a branch in the IFSC, the expression 'Principal Officer' shall be construed as 'Branch Head'.

(q) **'Specified Foreign Currency'** means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, as amended from time to time; and

(r) **'Underwriting**' refers to the process of accepting or rejecting insurance risk or insurance liability by an MGA on behalf of the foreign insurer.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any rules, regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

ELIGIBILITY AND REGISTRATION

4. Eligibility criteria

(1) An Applicant registered or licensed to undertake activities akin to an MGA in a jurisdiction outside India, and desirous of setting up branch in an IFSC shall meet with the following requirements:

(a) It holds a valid certificate of registration or license issued by its home country regulatory or supervisory authority to undertake activities akin to an MGA;

(b) It has acted as an agent to undertake activities akin to MGA including solicitation, underwriting risks and/or settling the claims for direct insurance business;

(c) It is registered or certified in a National Regulatory Environment with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement; and

(d) It has obtained 'No-objection certificate' from its home country regulatory or supervisory body to establish a branch in IFSC.

(2) Applicants other than those covered under sub-regulation (1), shall be incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in the IFSC.

(3) An Applicant shall at the time of filing application shall have at least one written contract with a foreign insurer to manage part of their direct insurance business including an authority to solicit, underwrite risks and/or settle the claims.

(4) An Applicant having written contract with a foreign insurer to manage part of their direct insurance business including solicitation, underwriting risks and/or settling the claims shall ensure that such foreign insurer –

(a) is registered or licensed for transacting direct insurance business, in its home country or country of its incorporation or domicile;

(b) has satisfactory track record in respect of regulatory or supervisory compliance in its home country or country of incorporation or domicile and also in any other country in which it is functioning;

(c) has minimum Net Worth of USD 100 Million;

(d) has a minimum credit rating of 'A' or its equivalent from any of the internationally renowned credit rating agencies for the last three years from the date of filing application under these regulations;

(e) is registered or certified in a National Regulatory Environment with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement;

(f) submits Board resolution undertaking to meet all liabilities arising out of Applicant's operations in the IFSC;

(g) submits all the details and information as may be required and complies with any additional requirements as may be specified by the Competent Authority; and

(h) submits undertaking(s) to comply with the provisions of regulation 22 of these regulations.

(5) The Applicant entity, the foreign insurer(s) and their promoters, partners or controlling shareholders shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as *"High-Risk Jurisdiction subject to call for action"*.

(6) An Applicant executing or proposing to execute written contract with more than one foreign insurer to manage part of their direct insurance business including solicitation, underwriting risks and/or settling the claims shall ensure that above provisions are complied by each such foreign insurer.

5. Procedure for making application

(1) An Applicant desirous of obtaining a certificate of registration from the Authority as an MGA shall submit an application in such form and be accompanied by such documents as may be specified by the

Competent Authority, along with the applicable fee specified under regulation 29 of these regulations, on the online platform designated by the Authority.

(2) The Competent Authority may require the Applicant to furnish any additional information or clarification for considering the Application.

(3) An Applicant after filing of application shall forthwith bring to the notice of the Competent Authority, on its own, such further information or clarification, which might have a bearing on consideration of its application.

(4) If the Competent Authority, upon examination of the application, is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty (30) days' time to rectify them.

(5) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Competent Authority within the specified time, the Competent Authority may dispose the application and shall communicate the same to the Applicant, with reasons thereto;

Provided that no such refusal shall be made by the Competent Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

(6) Notwithstanding anything contained in these regulations, while granting registration, the Competent Authority may impose additional conditions to be complied with by an MGA.

6. Consideration of application for obtaining Certificate of Registration–

(1) No person shall act as an MGA without obtaining a certificate of registration from the Competent Authority under these regulations.

(2) The Competent Authority shall, while examining the application, consider all matters which are necessary for carrying out the functions of an MGA, including but not limited to the following:

(a) whether the Applicant undertakes to fulfil the capital and Net Worth requirements as specified in regulation 13 of these regulations to the satisfaction of the Competent Authority;

(b) whether the Applicant has the requisite underwriting and/or claims processing competence and personnel having necessary qualification and experience, as may be specified by the Competent Authority;

(c) whether the Principal Officer, promoters, directors, and KMPs/controlling shareholders are 'Fit and Proper persons' as per the criteria specified by the Competent Authority;

(d) whether the Applicant has proposed to appoint a Principal Officer who shall be in direct employment of the MGA and resident in India;

(e) whether the Applicant has adequate office space, IT systems, and data security protocols within the IFSC to effectively discharge its activities, that is commensurate with the proposed operations; and

(f) whether the issue of certificate of registration to the Applicant will be in the interest of policyholders.

7. Procedure for issuance of Certificate of Registration

(1) On consideration of the application, the Competent Authority may grant *in-principle* approval to the applicant, subject to satisfaction that the Applicant has fulfilled the conditions as specified under sub-regulation (2) of regulation 6 of these regulations and upon payment of applicable fees.

(2) The Competent Authority on being satisfied with the compliance under sub-regulation (1) and also with other compliances under these regulations, including capital requirement, Net Worth requirement and professional indemnity policy, may issue a certificate of registration.

(3) Registration granted under these regulations shall remain in force subject to conditions as specified under these regulations, until such registration is suspended or cancelled by the Competent Authority.

8. Conditions upon issuance of Certificate of Registration - The registration granted to an MGA under these regulations shall, *inter-alia*, be subject to the following conditions, that it shall –

(1) exclusively carry on the business for which the registration has been granted, in the manner as specified in Schedule-I of these regulations;

(2) comply with the provisions of sub-section (5) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(3) comply with the applicable laws;

(4) have at all times, a valid and subsisting BAA with the foreign insurer(s) in accordance with the regulation 20 of these regulations;

(5) at all times, comply with the eligibility criteria as specified under regulation 4 of these regulations;

(6) comply with the International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022;

(7) have at all times, a valid and subsisting Letter of Approval (LoA) from the Administrator (IFSCA) under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(8) forthwith inform the Competent Authority in writing, if there is any material change in the information already submitted;

(9) take adequate steps for redressal of grievances in accordance with the Circular titled "*Complaint Handling and Grievance Redressal by Regulated Entities in the IFSC*" dated December 02, 2024;

(10) solicit and procure insurance policies commensurate with its resources;

(11) maintain records in the format specified by the Competent Authority which shall capture details of each policy managed by an MGA and against each policy the authorised person(s) managing the same shall be identified, wherever applicable;

(12) under no circumstances, undertake multi-level marketing for solicitation and procuring direct insurance business;

(13) comply with the Code of Conduct as specified under regulation 18 of these regulations;

(14) maintain such books of accounts as specified under these regulations;

(15) ensure that its shares held by any of its shareholder are not pledged to secure any form of credit facilities, and remain unencumbered at all times; and

(16) any other condition(s) as may be specified by the Competent Authority.

9. Commencement of business-

(1) An MGA shall commence business within a period of one hundred eighty (180) days from the date of grant of certificate of registration by the Competent Authority;

Provided that, if an MGA fails to commence business within the said period, it can, before the expiration and at least thirty (30) days prior to such expiry, make an application to the Competent Authority seeking extension of time.

(2) Upon receipt of an application under sub-regulation (1), the Competent Authority may examine the same and communicate the decision there on, in writing to such applicant;

Provided that no extension of time shall be granted by the Competent Authority beyond eighteen (18) months from the date of grant of certificate of registration.

CHAPTER III

REQUIREMENTS FOR AN MGA

10. Scope of Operations –

(1) An MGA is permitted to undertake the activities of direct insurance business in the IFSC, outside India, or both.

(2) An MGA shall not solicit direct insurance business from the Domestic Tariff Area (DTA) in India, except in accordance with Section 2CB of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

(3) An MGA shall undertake direct insurance business, in accordance with the provisions of these regulations, including any terms and conditions stipulated under the certificate of registration.

(4) An MGA shall carry out its operation in any of the Specified Foreign Currencies;

Provided that, an MGA may open an INR account to defray its administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be permitted under the applicable laws.

11. Prohibited activities - An MGA is prohibited from:

(1) entering into binding re-insurance or retrocessions contracts on behalf of the foreign insurer;

(2) participating in insurance or reinsurance syndicates;

(3) assigning the contract in whole or part, or further delegating its underwriting or claims authority to any other entity or any other person as the case may be; and

(4) jointly employing an individual who is employed with the foreign insurer.

12. Executing BAA with other foreign insurer(s) – An MGA executing BAA with another foreign insurer(s), shall *mutatis mutandis* comply with provisions of sub-regulations (3), (4) and (5) of regulation 4 and regulation 20 of these regulations.

Explanation. - An MGA shall, at all times, maintain above-referred documents and shall submit the same as and when sought by the Competent Authority.

13. Capital and Net Worth Requirements

(1) An MGA, set up in the form of a company, shall maintain a minimum paid-up equity capital equivalent to USD 5,00, 000 (USD Five Lakh only) with an IBU.

(2) An MGA, set up in the form of a branch, shall maintain a minimum assigned capital equivalent to USD 5,00, 000 (USD Five Lakh only) with an IBU.

(3) An MGA shall maintain Net Worth of minimum equivalent to USD 250,000 (USD Two Lakh Fifty Thousand only) or 50% of the minimum paid-up or assigned capital, whichever is higher, at all times.

Explanation. - For avoidance of doubts, it is clarified that an MGA set up in form of a branch shall maintain Net Worth at its parent level.

(4) In case of any shortfall in Net Worth as required under sub-regulation (3) above, the MGA shall immediately restore the same and report compliance of the same within a period of fifteen (15) days to the Competent Authority.

(5) The investment made by the promoters/ shareholders in an MGA shall be from their owned funds and not from any other sources;

Explanation. **-** For the purpose of this sub-regulation, owned funds shall not include funds arranged by way of borrowings or loans.

(6) An MGA shall submit a paid-up capital and Net Worth certificate issued by its statutory auditor or an independent Company Secretary on annual basis, to the Competent Authority.

14. Professional Indemnity - An MGA shall purchase and maintain, at all times, a professional indemnity insurance cover throughout the validity of its registration in accordance with the Schedule-III of these regulations;

Provided that an MGA in branch form shall maintain the professional indemnity insurance policy at its head office and shall have endorsement on such insurance policy to the effect that liabilities if any, arising out of operations at the IFSC branch office are also covered in such policy.

15. Financial security and Deposit requirements

(1) An MGA shall, before the commencement of their business, deposit and keep deposited with any IBU, with lien marked in favour of the Authority, a sum equivalent to –

(a) USD 10,000 (USD Ten thousand only), which shall not be released without the prior written permission of the Competent Authority; and

(b) 10% of the minimum paid-up equity capital or assigned capital as specified under regulation 13 of these regulations, which shall not be released without the prior written permission of the Competent Authority;

Provided that the Competent Authority may impose a separate limit of deposit, in any case not exceeding USD 1,00,000 (USD One Lakh only).

Explanation. - For removal of doubts, it is clarified that the interest earned on such deposit shall not be subject to lien with the Authority.

(2) An MGA shall furnish to the Competent Authority, as and when called upon to do so, a non-

encumbrance statement from the IBU with which such deposit is maintained.

(3) The Competent Authority may appropriate such amount from the deposit maintained in accordance with sub-regulation (1), as required to settle unpaid 'Courts/Ombudsman Awards' or 'Claims under adjudication' in case liquidation proceedings are initiated against the concerned MGA.

CHAPTER IV

OPERATIONS, CODE OF CONDUCT AND MANAGEMENT

16. Ownership and control of shares- Any change(s) in the beneficial ownership of shares or contribution and control of the MGA shall be made only with prior approval of the Competent Authority and in such manner and process as may be specified by the Competent Authority.

17. Board approved policy

(1) An MGA shall have a Board approved policy containing the manner of soliciting, underwriting risks, settlement of claims of direct insurance business and acceptance of risk servicing insurance policies including suitability requirements.

(2) The Board approved policy shall, *inter-alia,* include the approach to be followed by an MGA in having multiple tie-ups, type of products sold, mode of solicitation, grievance redressal mechanism, reporting requirements and any other requirement with regard to different business segments.

(3) The Board approved policy shall be reviewed at least once in every three (3) years by its Board by whatever name called.

18. Code of conduct - An MGA shall perform its functions and duties, and exercise its delegated authority, in strict adherence to the Code of Conduct and operational standards specified in Schedule-II of these regulations.

19. Internal control and systems - An MGA shall develop and maintain a suitable internal control system, including an audit system, commensurate with the size, nature, scale and complexity of its business operations.

20. Binding Authority Agreement (BAA)

(1) An MGA shall not solicit business, underwrite risks or settle claims on behalf of a foreign insurer, unless a BAA containing the clauses as specified under Schedule-IV of these regulations is executed with the concerned foreign insurer and submitted to the Competent Authority.

(2) The BAA shall, *inter-alia,* explicitly include the following: -

(a) classes of direct insurance business, territorial limits and maximum limits of liability per risk;

(b) underwriting guidelines and the basis of rates to be charged;

(c) underwriting capacity allocated by the foreign insurer to an MGA; and

(d) foreign insurer's right to terminate or suspend the BAA, including the details of the person authorized to terminate or suspend the BAA during the pendency of dispute, if any and the ground of termination or suspension of BAA.

(3) The BAA shall strictly delineate 'Claims Processing' and 'Claims Settlement' as separate activities that may be undertaken by an MGA.

(4) Where the authority to settle claims has been granted, an MGA shall settle claims in accordance with the monetary limit per claim and an aggregate limit as specified in the BAA;

Provided that any claim exceeding USD 10,000 (USD Ten Thousand only) or involving a coverage dispute shall be referred to the concerned foreign insurer for prior approval.

21. Fiduciary Accounts and premium segregation

(1) Where an MGA is permitted to collect the premium and remit the same to the foreign insurer and/or collect the claims due from the foreign insurer in order to pass on to the policyholder(s), the money thus collected shall be maintained in a Fiduciary Account.

(2) The money collected by an MGA in the Fiduciary Account shall be segregated from other accounts maintained by such MGA.

(3) The money collected by an MGA in the Fiduciary Account shall only be used for the permitted purposes and shall not be used for any other purposes.

(4) An MGA shall not retain more than three (03) months' worth of losses and loss adjustment expenses in the Fiduciary Account, and any such surplus amount shall be remitted to the foreign insurer, monthly.

(5) The money held in the Fiduciary Account, being the money of policyholders or of the foreign insurer, as the case may be, shall not be liable to attachment or be part of the assets of the MGA in the event of its insolvency or liquidation.

(6) The Fiduciary Account shall only be used for the following purposes–

(a) Credits: Receipt of premiums from policyholders; receipt of claim funds/return premiums from foreign insurers; and interest earned on such funds (subject to the BAA);

(b) Debits: Remittance of premiums to foreign insurers; payment of claims/refunds to policyholders; and withdrawal of commission as per the BAA.

(7) An MGA shall submit a certificate issued by its statutory auditor to the Competent Authority on half yearly basis confirming compliance with fund segregation requirements specified under these regulations.

22. Duties of foreign insurer(s) and their operational oversight-

(1) The foreign insurer who has executed the BAA with an MGA shall –

(a) conduct an independent annual audit of the records of the MGA to satisfy that the MGA complies with the BAA and the Net Worth requirements as specified under these regulations; and

(b) conduct an on-site review of the MGA's underwriting and claims processing at least on a half yearly basis.

(2) If an MGA establishes loss reserves, the relevant foreign insurer shall annually obtain the opinion of an independent actuary certifying their adequacy.

Explanation. - For removal of doubts, it is clarified that the above requirement shall be in addition to any other required loss reserve certification.

(3) The foreign insurer shall not –

(a) appoint any officer, director, employee or controlling shareholder of the MGA on its Board; and

(b) give binding authority to an MGA of more than ten per cent (10%) of its GWP for the previous financial year.

23. Maintenance of books of accounts and records-

(1) An MGA set up in the form of a company shall prepare and maintain the following financial statements–

(a) a balance sheet as at the end of each financial year;

(b) a profit and loss account for that period, which shall be maintained on accrual basis;

(c) a statement of cash/fund flow (direct method) for that period; and

(d) additional statements on its business as may be specified by the Competent Authority.

Explanation. -

(i) For the purposes of this regulation, the financial year for an MGA in form of a branch in the IFSC shall refer to the financial year as specified by its home country's regulatory or supervisory authority;

(ii) the financial year for an MGA set up in the form of a company shall refer to a period of twelve (12) months commencing from 1st April and ending on the 31st March.

(2) An MGA in branch form shall prepare and maintain the financial statements in accordance with the accounting standards as specified by its home country regulatory or supervisory authority.

(3) An MGA shall submit to the Competent Authority the audited financial statements within a period of thirty (30) days of the annual general meeting on or before 30th September every year, whichever is earlier, along with director's report, as applicable, the remarks or observations of the auditor, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc.

(5) An MGA shall take steps to rectify the deficiencies, if any, made out in the auditor's report, and inform the Competent Authority about the same within a period of ninety (90) days from the date of the auditor's report.

(6) All the financial statements and relevant documents shall be maintained at the office of the MGA in the IFSC and shall be available for inspection by the Competent Authority.

(7) All claim files shall be the joint property of the foreign insurer and the MGA;

Provided that upon an order of liquidation of the foreign insurer, all such files shall become the sole property of the foreign insurer or its estate, subject to the condition that the MGA shall have access to and the right to copy the files on a timely basis.

(8) An MGA shall render accounts, including claims bordereaux, to the foreign insurer stating details of all transactions and remit all funds due under the contract to the foreign insurer on not less than a monthly basis.

(9) All financial statements and relevant documents referred to in these regulations shall be retained for such period as specified under the International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022;

Provided that the documents pertaining to the cases where claims are reported and the decision is pending in a Court, the documents shall be maintained till the disposal of the cases;

Provided further that unless otherwise required in any other laws for the time being in force, all such financial statements and relevant documents may be maintained in non-editable electronic retrieval form.

(10) All financial statements shall include a note providing the foreign insurer-wise (including foreign insurer's group companies) details of all the incomes received by it and also the details of payments received by it from its group companies, associates, and related parties.

(11) An MGA shall make disclosures of all related party transactions in its audited financial statements.

(12) An MGA shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER V

GOVERNANCE AND COMPLIANCE

24. Foundational Principles for an MGA- An MGA shall, at all times, act in accordance with the following foundational principles -

(1) An MGA owes its primary fiduciary duty to the foreign insurer with whom it has executed a BAA and while exercising delegated authority the MGA shall observe high standards of integrity and act with the such skill and care as if the MGA's own capital were at risk.

(2) An MGA shall ensure that the interests of policyholders are protected, particularly when exercising delegated authority for underwriting or claims.

(3) An MGA may use the advertising material approved by the foreign insurer for solicitation of insurance business.

(4) An MGA shall develop and implement a Board approved conflict management policy, which shall be reviewed annually.

(5) An MGA shall disclose its status as an insurance intermediary of the foreign insurer(s) to the policyholders and shall prominently mention the name of the foreign insurer(s) in all policy documents.

25. Filing of returns - An MGA shall file the relevant returns in such form and manner as may be specified by the Competent Authority.

26. Disclosures to the Competent Authority -

(1) An MGA shall take prior approval of the Competent Authority for the following –

(a) Change of Principal Officer/ Branch Head;

(b) Change of Director(s) if any;

(c) Change of its name; or

(d) Change of its corporate/registered office.

Explanation. – For removal of doubts, it is clarified that an MGA shall inform Competent Authority in the event of resignation of any director.

(2) An MGA, within seven (07) days, shall furnish to the Competent Authority the following information as and when there is a change in the information furnished previously to the Competent Authority:

(a) List of MQPs; and

(b) Claims under the Professional Indemnity Policy.

(3) The Competent Authority may require the MGA to furnish such other data, documents or information, in such manner and at such interval, as it may specify.

27. Amalgamation and transfer of business

(1) No scheme of amalgamation or merger or acquisition or transfer of business of the MGA shall be implemented without the prior approval of the Competent Authority.

(2) The process for seeking approval, for such amalgamation or merger or acquisition or transfer of business of the MGA, shall be in such form and manner as specified by the Competent Authority.

28. Sale of insurance through digital modes

(1) An MGA may enter into an agreement with foreign insurers for sale of insurance products online by linking to the web portals of the foreign insurers or by establishing insurance self-network platform.

(2) An MGA may solicit insurance through digital modes subject to such conditions as may be specified by the Competent Authority.

(3) The procedure for sale of insurance products where leads are generated through online or off-line and completed through tele-marketing mode by MGA shall be as specified by the Competent Authority.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

29. Fee -

(1) The Applicant while filing application seeking registration as an MGA shall pay non-refundable fee of USD 1,000 (USD One thousand only) as application fees, to the Authority.

(2) Upon communication the Applicant shall pay non-refundable fee of USD 5,000 (USD Five thousand only) as registration fees, to the Authority.

(3) An MGA who has been granted certificate of registration under these regulations shall pay higher of the annual fee as specified below, for each financial year to the Authority on or before 30^{th} day of April of such financial year:

(a) USD 12,500 (USD twelve thousand five hundred only); or

(b) One-twentieth of one *per cent.* of total gross premium written by an MGA during the financial year immediately preceding the year in which the annual fee is required to be paid.

(4) The fee amount shall be remitted into the bank account of the Authority through any of the recognised modes of electronic funds transfer.

(5) In the event of a certificate of registration being lost or destroyed or mutilated, an MGA shall submit an application along with a fee of USD 500 (USD five hundred only) requesting for the issue of a duplicate certificate of registration, with a declaration giving full details about the certificate of registration.

(6) The Competent Authority, after satisfying itself that the original certificate of registration has been lost, destroyed or mutilated, may issue a duplicate certificate of registration with an endorsement thereon that it is a duplicate.

30. Voluntary surrender- An MGA may surrender its certificate of registration only with the prior written approval of the Competent Authority and after providing a plan to run off its existing book of business, including submitting evidence of adequate capital to wind down operations in an orderly manner without disrupting policyholder services.

31. Power to issue subsidiary instructions – The Competent Authority may issue subsidiary instructions for the following purposes, namely: –

(1) clarifying the ambiguity of the provisions of this regulation, if any; and

(2) laying down any procedural requirement ancillary to this regulation.

32. Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations-

(1) The Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of insurance ecosystem in International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any provision of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation is being sought, shall be filed with the Competent Authority along with such non-refundable fee as may be specified by the Authority.

(3) The application made under sub-regulation (2), complete in all respects, shall be processed within sixty (60) days from the date of its receipt, or receipt of the responses to the clarifications sought by the Competent Authority, if any.

(4) The Competent Authority shall dispose of the application received under sub-regulation (2), by recording the reasons in writing for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant.

33. Power to Inspect and Investigate - The Competent Authority shall have the power to inspect the financial statements, relevant documents and premises of the MGA at any time without prior notice, and may call for any information from the MGA or the Applicant, so far as it relates to its activities as MGA.

34. Action in case of default and manner of suspension or cancellation of Certificate of Registration-

(1) The Competent Authority may take appropriate action as it deems fit, including suspension or cancellation of the registration of an MGA, after due notice and giving it a reasonable opportunity of being heard, if it, *inter-alia* –

(a) violates the provisions of the applicable laws;
(b) fails to furnish any information relating to its activities as an MGA as required by the Competent Authority;
(c) fails to comply with the directions issued by the Competent Authority;
(d) furnishes wrong or false information, or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining registration or during the validity of certificate of registration;
(e) does not submit periodical returns as required by the Competent Authority;
(f) does not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Competent Authority;
(g) fails to resolve the complaints of the policyholders or fails to give a satisfactory reply to the Competent Authority;
(h) indulges in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's directors or other employees or any person acting as an introducer except as permitted under these regulations;
(i) is found guilty of misconduct or its conduct is not in accordance with the Code of Conduct specified under these regulations;
(j) fails to maintain the capital, Net Worth and deposit requirements in accordance with these regulations;
(k) fails to pay the fees, penalties imposed or the reimbursement of expenses under these regulations;
(l) violates the conditions of certificate of registration;
(m) does not carry out its obligations as specified in these regulations;
(n) undertakes multi-level marketing for soliciting and procuring direct insurance policies;
(o) carries on the business with a Principal Officer who does not acquire practical training and/or pass the examination as specified in these regulations;
(p) violates the conditions of BAA;
(q) fails to commence business within one hundred eighty (180) days of registration or such extension as may be granted by the Competent Authority;
(r) is found guilty of fraud, misrepresentation, or ethical misconduct;
(s) any other violation of these regulations or subsidiary instructions issued thereunder;

Provided that the suspension or cancellation of certificate of registration shall be in accordance with the manner specified under these regulations.

(2) Upon inspection or investigation or otherwise, the Competent Authority is of the opinion that the operations of MGA are not being conducted in accordance with the applicable laws; or its activities are not in the interests of the insurance ecosystem in the International Financial Services Centres, the Competent Authority may take appropriate action against it.

(3) Without prejudice to the above, the Competent Authority may take any other action as it deems fit, under the Act and Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

35. Manner of holding enquiry for suspension or cancellation of Certificate of Registration—

(1) The certificate of registration of an MGA shall not be suspended or cancelled unless an enquiry has been conducted in accordance with the procedure specified in this regulation.

(2) For the purpose of holding an enquiry under this regulation, the Competent Authority may appoint an enquiry officer within fifteen (15) days of the initiation of the proceedings;

(3) The enquiry officer shall issue a notice to the MGA electronically or at the registered office or the principal place of business of the MGA, calling for all data, documents or information as deemed necessary to conduct the enquiry;

(4) An MGA may, within twenty-one (21) days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply to the notice together with copies of documentary or other evidence relied on by them or sought by the enquiry officer.

(5) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of hearing to an MGA to enable it to make submissions in support of its reply made under sub-regulation (4) above.

(6) An MGA may either appear in person to present their case.

(7) If it is considered necessary, the enquiry officer may –

(a) require the Competent Authority to present its case through one of its officers;

(b) call for feedback/information from the foreign insurer or any other related entity during the course of enquiry;

(c) call for additional data, documents or information from an MGA.

(8) The enquiry officer shall make all necessary efforts to complete the proceeding at the earliest but in no case beyond sixty (60) days of the commencement of the enquiry;

Provided that in case the enquiry cannot be completed within the specified time limit of sixty (60) days as mentioned above; the enquiry officer may seek additional time from the Competent Authority stating the reason thereof.

(9) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the MGA, submit a report to the Competent Authority within thirty (30) days of the completion of the enquiry proceedings.

36. Action to be taken after the receipt of the enquiry report –

(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Competent Authority shall consider the report and issue a show-cause notice (SCN) to the MGA if the contents of the report warrant a suspension or cancellation of the registration granted to them.

(2) The MGA shall, within twenty-one (21) days of the date of receipt of the SCN, send a reply to the Competent Authority.

(3) The Competent Authority, after considering the reply to SCN shall pass such an order as it deems fit;

Provided that where the MGA on serving of the notice under this regulation fails to furnish any reply within the stated period, the Competent Authority may after the expiry of such time proceed to decide the case on merit and pass such an order as it deems fit.

(4) The Competent Authority shall send a final order made under sub-regulation (3) to the MGA.

37. Suspension or cancellation of Certificate of Registration and effects thereon—

(1) The Competent Authority shall issue the final order for suspension or cancellation of the certificate of registration of the MGA, and it shall cease to act as an MGA from the date of the final order;

Provided that, an MGA whose certificate of registration has been suspended or cancelled shall continue to service the contracts already concluded through it for a period of six months, within which it shall

make suitable arrangements for having the existing contracts attended to by another MGA registered under these regulations.

(2) The Competent Authority on suspension or cancellation of certificate of registration may pass such order as it thinks fit for the disposal of the deposit of the MGA made under regulation 15 of these regulations.

(3) An MGA who agrees to take over the obligations of policy service from the MGA whose certificate of registration is suspended or cancelled, shall submit its request to the foreign insurer for serving the policies / contracts throughout the policy term.

(4) An MGA, upon obtaining the approval from the foreign insurer in terms of sub-regulation (3), can collect remuneration on subsisting contracts with prospective effect from the date of service of the contracts.

(5) The foreign insurer shall pay remuneration / policy service on subsisting contracts with prospective effect from the date of allotment of service of the contracts to the new MGA with whom the foreign insurer had executed a new BAA.

38. Publication of order of suspension or cancellation —

(1) The order of suspension or cancellation of the certificate of registration shall be displayed on the website of the Authority and communicated to the MGA.

(2) Upon the suspension or cancellation of the certificate of registration of an MGA, such MGA shall cease to carry on any business as an MGA with effect from the date of such suspension or cancellation.

39. Repeal and Savings

(1) On and from the commencement of these regulations, all the provisions related to Managing General Agent (MGA) wherever they occur in the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021, shall stand omitted.

(2) On and from the commencement of these regulations, the provisions applicable to an insurance intermediary under the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021, shall not be applicable to Managing General Agent (MGA) registered under these regulations.

(3) Notwithstanding such omission -

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued, under the omitted provisions shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations;

(b) any application made to the Competent Authority under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;

(c) the previous operation of the omitted provisions or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the omitted provisions, any penalty incurred in respect of any violation committed against the omitted provisions, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the omitted provisions have never been omitted.

(4) After the omission of provisions related to Managing General Agent (MGA), any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Authority, any act of the Government of India or laws enacted by other statutory authorities shall be deemed to have the reference to the corresponding provisions of these regulations.

(5) Save as otherwise contained in sub-regulations (1) and (2), the circulars or guidelines issued by Competent Authority under the omitted provisions, shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are specifically superseded or modified by the Competent Authority.

Schedule-I

'Functions and activities of MGA'

1. Underwriting and Risk Selection –

(1) Risk Assessment and Acceptance within BAA limits: Evaluation of risks through sophisticated modelling and selection processes to ensure alignment with the foreign insurer's Underwriting Policy.

(2) Binding Authority: Exercising delegated authority to bind risks, issue binders, and execute insurance contracts within the limits specified in the BAA.

(3) Pricing Mechanism: Development and application of technical rating models. The MGA shall ensure that all quotes are compliant with the foreign insurer's rating manuals and actuarial benchmarks, related specialized data, accounting for risk-loading, administrative costs, and statutory levies and shall not deviate from the foreign insurer's overarching risk appetite.

2. Product Development and Manufacturing -

(1) Product Design: Conceptualizing and designing insurance products, including the drafting of policy wordings, terms, conditions, and exclusions.

(2) Regulatory Filing: Ensuring compliance with IFSCA (Insurance Products & Pricing) Regulations, 2022.

3. Policy Lifecycle and Operational Management –

(1) Policy Issuance: Execution and delivery of policy documents, schedules, and endorsements.

(2) Lifecycle Management: Handling the end-to-end administration of the policy, including –

(a) Solicitation: Marketing and distribution of products via direct channels.

(b) Servicing: Processing mid-term adjustments (MTAs), renewals, and cancellations for cause or non-payment.

(3) Data Integration: Maintenance of real-time digital records and integration with the foreign insurer's core systems to ensure seamless reporting for solvency and regulatory oversight. The data of policyholders should be stored within India including IFSCs, to ensure compliance with the India's data protection laws.

4. Fiduciary and Accounting Functions -

(1) Premium Collection and claims payment: An MGA shall act as a fiduciary in the collection of

premiums and the maintenance of a Fiduciary Account. This account shall be used for all payments on behalf of the foreign insurer. The MGA may retain no more than three (03) months estimated claims payments and allocated loss adjustment expenses.

(2) Financial Reporting: Periodic reconciliation of accounts and remittance of net premiums (gross premium less commission and authorized expenses) to the foreign insurer as per the BAA.

5. Claims Management and Loss Mitigation: Where specifically delegated under the BAA, the MGA shall perform the following claims functions:

(1) Initial Intake and Triage: Receiving notices of loss, verifying policy coverage at the time of loss, and registering the claim file.

(2) Negotiation and Adjusting: Investigating claims and negotiating settlements for complex or high-value losses within the technical parameters set by the foreign insurer.

(3) Settlement Authority: Finalizing and issuing claim payments to policyholders or third-party claimants from the Fiduciary Account, provided such payments fall within the MGA's delegated financial authority subject to a monetary limit per claim and an aggregate limit. MGA may send specific claim files to the foreign insurer if they exceed set limits or involve coverage disputes.

Schedule-II

'Code of conduct of MGA'

1. Integrity and Professionalism –

(1) High Standards: An MGA shall act with high standards of integrity, dignity, and fairness in all its dealings.

(2) Fiduciary Duty: An MGA shall owe its primary fiduciary duty to the foreign insurer. In fulfilling this duty, the MGA shall simultaneously ensure a secondary duty of fairness and transparency to the policyholder.

(3) Due Care and Diligence: An MGA shall act with appropriate skill, care, and diligence in the exercise of its delegated authority, particularly in underwriting and claims management.

2. Conflict of Interest and Governance

(1) Board-Approved Policy: An MGA shall implement a comprehensive conflict management policy approved by its Board of Directors. This policy shall be reviewed annually.

(2) Segregation of Activities: If an MGA is part of a group involving brokers or loss assessors, it shall maintain a strict 'arms-length' distance and clear operational segregation to prevent cross-contamination of interests.

(3) Group Bindings: An MGA shall not bind risks for its own group entities unless specifically authorized in writing by the foreign insurer and disclosed to the Competent Authority.

3. Disclosures and Transparency

(1) Material Information: An MGA shall disclose to the policyholder its status as an agent of the foreign insurer and any specific interest it holds in the risk being insured.

(2) Truthful Advertising: All promotional materials and communications shall be –

(a) Fair, clear, and unambiguous.

(b) Free from misleading statements that exploit a client's lack of insurance experience.

4. Market Conduct and Anti-Mis-selling -

(1) Product Suitability: An MGA shall ensure that any insurance product bound under its authority is suitable for the client’s risk profile and specific needs. The MGA has duty to screen for ‘suitability’ and monitor their sales practices to prevent mis selling.

(2) Clear Communication: All features, exclusions, and limitations of the insurance policy shall be communicated clearly to the client prior to binding.

5. Professional Standards and Accountability -

(1) Principal Officer (PO) Responsibilities: The PO or Branch Head shall be responsible for the day-to-day conduct of the MGA. The PO shall satisfy ‘Fit and Proper’ criteria, demonstrating competence in insurance, as per IFSCA guidelines, residency requirement.

(2) Staff Conduct: An MGA is strictly liable for the professional conduct of its employees it appoints.

6. Records and Audit Compliance -

(1) Record Retention: An MGA shall maintain a Board-approved record retention policy, ensuring all underwriting, claims, and financial data are retrievable and secure for the duration as specified by the Competent Authority.

(2) Right to Audit: An MGA shall facilitate periodic audits by the foreign insurer regarding underwriting files and claims handling to ensure strict adherence to the BAA.

Schedule-III

PROFESSIONAL INDEMNITY (PI) REQUIREMENTS

1. Mandatory Maintenance of PI Insurance –

(1) Commencement of Cover: An MGA shall, at all times, maintain a Professional Indemnity (PI) insurance policy from its date of registration.

(2) Scope of Coverage: The policy shall provide cover for legal liabilities arising from any act, error, or omission committed by the MGA, its employees, or its appointed representatives in the conduct of authorized business activities. The policy shall provide for cyber liability Insurance.

2. **Tiered Minimum Limits of Indemnity** –

(1) An MGA shall maintain limits of indemnity both at individual claim level and aggregate that are proportionate to its scale of operations and potential risk exposure.

(2) The limits shall be determined, having regard to the calculated percentage of annual income.

(3) Currency Alignment: If a policy is denominated in a currency other than USD, the MGA shall ensure

that the limits are equivalent to the mandated USD amounts at the time of each renewal.

(4) Review Mechanism: These limits shall be reviewed by the MGA Board annually and adjusted for shifts in the risk landscape or inflation.

3. **Management of Policy Excess (Deductibles)** –

(1) To prevent insurance intermediaries from assuming unmanageable financial risk, the maximum permissible 'excess' (the amount the MGA pays out-of-pocket per claim) is capped as follows:

(a) MGAs not holding client money: The excess shall not exceed the higher of $2,500 or 1.5% of annual income.

(b) MGAs holding client money (Fiduciary Accounts): The excess shall not exceed the higher of $5,000 or 3% of annual income.

(2) Compensatory Capital: If an MGA opts for a higher excess to reduce premium costs, it shall maintain additional capital resources as a buffer, equivalent to the difference between the actual excess and the regulatory cap.

4. **Mandatory Policy Features:** The PI insurance contract shall explicitly include the following -

(1) Legal Defence Costs: Coverage for costs and expenses incurred in defending professional negligence claims, in addition to the limit of indemnity.

(2) Retroactive Cover: The policy shall provide 'continuous cover' for all work carried out from the initial date of the MGA's registration in the IFSC.

(3) Ombudsman and Arbitration Awards: Indemnity against awards made by the IFSCA's grievance redressal bodies or recognized arbitration centers.

(4) No Unreasonable Exclusions: The policy shall not contain conditions or exclusions that unreasonably limit the core cover required for the MGA's specific business lines (e.g., claims handling, underwriting).

Schedule-IV

MANDATORY PROVISIONS OF BINDING AUTHORITY AGREEMENT (BAA)

1. **Contract primacy:** No MGA shall operate without a written contract that includes specific required clauses like termination for cause, suspension of authority, monthly accounting/remittance, fiduciary capacity, three-month rule, the right of foreign insurer to cancel or non-renew any policy of insurance subject to the applicable laws and regulations and non-assignment.

2. **Scope of Authority:** Explicitly state classes of direct insurance business, territorial limits, and maximum limits of liability per risk.

3. **Fit and Proper Status:** All individuals who manage or control an MGA including directors, senior managers, and shareholders owning significant percentage of the company shall satisfy 'fit and proper' criteria.

4. **Ownership Link Disclosures:** To manage potential conflicts of interest, a significant per cent or more ownership link between a foreign insurer and an MGA may be disclosed to any prospective policyholder.

5. **Underwriting Boundaries:** Setting annual GWP cap, surplus triggers, the basis of the rates to be charged; the

types of risks which may be written; maximum limits of liability; applicable exclusions; territorial limitations; policy cancellation provisions; and the maximum policy period and reinsurance prohibitions, as may be applicable.

6. **Monetary limits of Claims Authority Delineation, as agreed –**

(1) **Processing Only:** MGA verifies loss but cannot authorize payment.

(2) **Settlement Authority:** MGA can authorize payment up to an agreed amount at claim level and aggregate.

7. **Fiduciary Stewardship:** Mandatory trust account segregation and remittance 'without delay' rules.

8. **Loss Fund:** Limit of the loss fund to be maintained with an MGA shall not be more than three (03) months of estimated claims.

9. **Bordereau Reporting:** Mandatory monthly submission of premium and claims bordereaux to the foreign insurer in a template mutually agreed.

10. **The 5% Surplus Rule:** An MGA shall notify the foreign insurer if its quarterly GWP production exceeds 5% of the foreign insurer's policyholder surplus.

11. **Data Portability**: Mandate for the seamless transfer of policyholder records to the foreign insurer upon contract termination.

12. **Verification and Oversight:** Mandating two-year audited financials and annual on-site inspections.

13. **On-Site Review:** Foreign insurer to conduct on-site reviews of underwriting and claims at least half yearly.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive

[ADVT.-III/4/Exty./162/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.15 16:25:42 +05'30'